www.vinoba.in

भूदान-यज्ञ

भूदान-यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक – साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुख पत्र

वर्ष : १५ अंक : २४

सोमवार १७ मार्च, '६६

अन्य पृष्ठों पर

बंगाल का संकट २६०

राज्य बनाम केन्द्र —सम्पादकीय २६१

हिंसक क्रांति का प्रयास :
एक निष्फल चेष्टा —विनोबा २६२

गांधीजी और मौजूदा समस्याएँ
—जे० बी० कृपालानी २६३

ग्रामदान के सिवाय कुछ सूझता नहीं
—देवेन्द्र भाई : विनोबा २६४

एकता और लोकतंत्र पर
राष्ट्रीय सम्मेलन २६७

लोक-नेता का समादर : लोक-चेतना
के द्वारा —रामचन्द्र राही २६६

विनोबाजी भागलपुर जिले में
—कृष्णराज मेहता ३००

अन्य स्तम्भ

अखबार की कतरनें, संपादक के नाम पत्र
आन्दोलन के समाचार

सम्पादक
राममूर्ति

सर्व सेवा संघ प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी–१, उत्तर प्रदेश
फोन : ६६८५

युवक क्या करें ?

हमारे देश की विशालता, आबादी की विशालता और हमारी भूमि की स्थिति तथा आबहवा ने मेरी राय में मानो तय कर दिया है कि उसकी सभ्यता ग्राम-सभ्यता ही होगी। उसके दोष मशहूर हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा नहीं है, जिसका इलाज न हो सकता हो। इस सभ्यता को मिटाकर उसकी जगह शहरी सभ्यता को जमाना मुझे तो असभ्य मालूम होता है। हाँ, हम लोग किन्हीं कठोर उपायों के द्वारा आबादी घटाकर, ३० करोड़ से घटाकर ३ करोड़ या ३० लाख करने को तैयार हो जायँ तो दूसरी बात है। इसलिए यह मानकर कि हम लोगों को मौजूदा ग्राम-सभ्यता ही कायम रखनी है और उसके माने हुए दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना है, मैं उन दोषों का इलाज सुझा सकता हूँ। लेकिन इन इलाजों का उपयोग तभी हो सकता है, जब कि देश का युवक-वर्ग ग्राम जीवन को अपना ले। अगर वे ऐसा करना चाहते हों तो उन्हें अपने जीवन का तौर तरीका बदलना चाहिए और अपनी छुट्टियों का हरेक दिन अपने कालेज या हाईस्कूल के आस-पासवाले गाँवों में बिताना चाहिए; और जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हों या जो शिक्षा ले ही न रहे हों, उन्हें गाँव में बसने का इरादा कर लेना चाहिए।[1]

मैं चाहता हूँ कि तुम नवयुवक गाँव में जाओ और वहाँ जमकर बैठ जाओ – उनके मालिकों या उपकार-कर्ताओं की तरह नहीं, बल्कि उनके विनम्र सेवकों की तरह अपनी दैनिक चर्चा से, और अपनी रहन सहन से उन्हें समझने दो कि उन्हें खुद क्या करना है और अपने रहने का ढंग किस तरह बदलना है। महज भावना का कोई उपयोग नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे कि भाप का अपने आपमें कोई उपयोग नहीं है। भाप को उचित नियंत्रण में रखा जाय तभी उसमें ताकत पैदा होती है। यही बात भावना की है। मैं चाहता हूँ कि तुम भारत की आहत आत्मा के लिए शान्तिदायी लेप लेकर जानेवाले भगवान के दूतों की तरह उनके बीच जा पहुँचो।[2]

नैतिक अपवित्रता की विषैली हवा आज हमारे विद्यार्थियों में भी जा पहुँची है और किसी छिपी हुई महामारी की तरह उनकी भयंकर बरबादी कर रही है। ...तुम्हारा सारा पाण्डित्य और शास्त्रों का तुम्हारा सारा अध्ययन बिलकुल बेकार होगा, यदि तुम उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में न उतार सको।[3]

—मो० क० गांधी

(१) 'यंग इंडिया' : ७-११-'२६ (२) 'यंग इंडिया' : २६-१२-'२७
(३) 'यंग इंडिया' : २१-२-'२६

प० बंगाल का संकट

मद्रास, ७ मार्च। श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि बंगाल की सरकार ने राज्यपाल द्वारा पढ़े जाने के लिए जो वक्तव्य तैयार किया था उसे उन्होंने न पढ़कर "संयुक्त मोर्चे की सरकार के हाथ में एक ऐसा शक्तिशाली हथियार दे दिया है, जिसे वे कांग्रेस दल और केन्द्रीय सरकार, दोनों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी।"

श्री जयप्रकाशजी ने इस प्रश्न पर अपने मत का खुलासा देते हुए आगे कहा—"मैं आखिर समय तक यही उम्मीद करता रहा कि पश्चिमी बंगाल का वैधानिक संकट टल जायेगा। मुझे यह कहना जरूरी मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार ने असंवैधानिक ढंग से काम किया, इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि इससे यदि पूरे देश को नहीं तो कम-से-कम बंगाल के कांग्रेस दल को प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुँची है। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि अगर आज स्थिति इसके विपरीत होती, यानी केन्द्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार होती और प० बंगाल में कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी ने केन्द्र की संयुक्त मोर्चे की सरकार की इस प्रकार की असवैधानिक कार्रवाई की कड़े-से-कड़े शब्दों में निंदा की होती।

इससे कहीं अच्छा हुआ होता कि कांग्रेस दल ने अपनी पराजय शालीनतापूर्वक स्वीकार करके विधानसभा के अधिवेशन के पहले ही राज्यपाल को वापस बुला लिया होता। यह दयनीय बात है कि जिस कांग्रेस दल ने अपने हाथों से संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी निभायी थी, उसीने स्वयं उस संविधान को भंग करने की जिम्मेदारी भी ली।"

पश्चिम बंगाल की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" ने ८ मार्च, '६९ के अग्रलेख में लिखा है—"श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने प्रवचन में पश्चिम बंगाल की स्थिति के लिए केन्द्र को दोषी बताते हुए कहा है : "खेद है कि कांग्रेस पार्टी ने, जिसका संविधान के निर्माण में बड़ा हाथ था, स्वयं उसमें तोड़-फोड़ का कार्यभार सम्हाल लिया है।" वक्तव्य देने में हींग-फिटकिरी कुछ नहीं लगती, लेकिन उसका असर तो बुरा हो सकता है। यदि जयप्रकाश बाबू सत्य उद्‌घाटन कर वामपंथियों विशेषतः कम्यूनिस्टों की रोषपूर्ण आलोचना का शिकार न होना चाहते थे तो वे मौन ही रहते। यदि जयप्रकाश बाबू प० बंगाल के राज्यपाल होते तो वह क्या उन अंशों को पढ़ लेते? प्रधानमंत्री होते तो क्या मान लेते कि केन्द्रीय सरकार का कार्य अलोकतंत्रीय रहा है?"

दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक "टाइम्स आव इण्डिया" ने अपने ७ मार्च, '६९ के अग्रलेख में लिखा है—"यह सच है कि अगर केन्द्र के किसी भी कार्य से यह जाहिर होता है कि वह कार्य राज्य-सरकार के दबाव के चलते हुआ है तो इससे एक गलत परम्परा बनेगी। राज्यपाल के ओहदे को संवैधानिक ढाँचे में जो स्थान दिया गया है, वह इस प्रकार के कार्य द्वारा स्थान-च्युत हो जायेगा। लेकिन बंगाल के मामले में स्थितियाँ विचित्र हैं और ऐसा दुबारा होने की संभावना नहीं है। कुछ भी हो, केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के मामले में इस प्रकार एक-दूसरे को अँगूठा दिखाने का रवैया नहीं चलना चाहिए। केन्द्र और राज्य, दोनों समझदारी के साथ एक दूसरे के रुख को समझने की तैयारी रखेंगे तभी ठीक होगा।"

मद्रास के अंग्रेजी दैनिक "दी हिन्दू" ने अपने ८ मार्च '६९ के अग्रलेख में लिखा है "यह याद रखने की बात है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सिर्फ कानून मात्र नहीं है। संविधान के अन्तर्गत जहाँ तक सम्भव हो, जनता के प्रतिनिधियों की इच्छाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समावेश होना चाहिए। इसी आधार पर इस राय का औचित्य सिद्ध होता है कि जो परिस्थिति सामने है, और मध्यावधि चुनाव में जनमत ने जो फैसला जाहिर किया है उसे मद्देनजर रखते हुए, यह उचित ही था कि श्री धर्मवीर वहाँ से वापस बुला लिये जाते।

जब कि स्वयं गवर्नर ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि उन्हें वहाँ से वापस बुला लिया जाय, और बंगाल के नये मंत्रिमण्डल का उनके खिलाफ जो स्पष्ट रुख है उसे देखते हुए सिर्फ इतनी ही बात सोचने को रह गयी थी कि उन्हें कब वापस बुलाया जाय।"

दिल्ली के हिन्दी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' ने ८ मार्च के सम्पादकीय में लिखा है—

लोकतंत्र में जो बहुमत की आवाज है वह सर्वोच्च है इसमें सन्देह नहीं, किन्तु अच्छे-से-अच्छा लोकतंत्र भी ऐसी व्यवस्था जरूर रखता है, जिससे उसका दुरुपयोग कम-से-कम हो सके। राज्यपाल के अपने विवेक के प्रयोग का जो अधिकार दिया गया है, वह इसी उद्देश्य से है।...यदि श्री धर्मवीर ने अपने अभिभाषण में से कुछ अंश नहीं पढ़े तो इसमें असंवैधानिक क्या है? फिर राष्ट्रपति का जो भाषण तैयार किया जाता है क्या उसमें ऐसे अंश हो सकते हैं, जिसमें उसके ही किसी काय की आलोचना हो? यदि नहीं तो प० बंगाल के राज्यपाल द्वारा अपनी आलोचना के अंश न पढ़ने पर आपत्ति क्यों?"

'संकट टल गया' शीर्षक के अन्तर्गत 'स्टेट्समैन' ने अपने ७ मार्च '६९ के सम्पादकीय में लिखा है—

"दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातें मनवाने में सफल हो गये दीखते हैं। एक-दूसरे के प्रति कुछ हद तक समझौते की भावना बरतकर दोनों पक्षों ने उस दुर्भावना को कम कर दिया जो ऐसा न करने पर फैली होती। जब राज्यपाल ने विधानसभा में प्रवेश किया और जब वे वापस बाहर आये तो संयुक्त मोर्चे के सदस्य अपनी-अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे। इस प्रकार एक शिष्टाचार की परम्परा टूटी। इसी प्रकार सरकार धन्यवाद-ज्ञापन के प्रस्ताव में अपनी नाराजी जाहिर करनेवाला अंश जोड़ेगी। अप्रिय होते हुए भी लोकतांत्रिक ढंग से अपनी राय प्रकट करने के ये ढंग हैं। इनकी तुलना में शारीरिक कष्ट पहुँचाने, सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करने या अन्य प्रकार से दबाव डालने के तरीके निश्चय ही कहीं कम सभ्य ढंग हैं।"•

www.vinoba.in

अग्रलेख

राज्य बनाम केंद्र

हमारा देश जिस तरह-तरह के तनावों और संघर्षों में से गुजर रहा है उनमें राज्यों और केन्द्र के झगड़े-रगड़े का एक विशेष स्थान हो गया है। ये रगड़े 'सिद्धान्त की लड़ाई' बनते जा रहे हैं, और कभी-कभी ऐसा लगने लगता है जैसे राज्य अपनी जनता और लोकतंत्र के नाम में केंद्र के मुकाबिले 'मुक्ति का अभियान' चला रहे हैं, और केंद्र स्वयं देश की एकता, विकास और सुव्यवस्था के लिए संविधान की रक्षा करने में जुटा हुआ है। केन्द्र और राज्यों के बीच अधिकारों की खींचतान का यह सारा व्यापार याद दिलाता है बीते इतिहास के उन दिनों की जब दिल्ली के सम्राट तथा 'बागी' सूबेदारों और सरदारों में टक्करें होती थीं, और इन टक्करों से राजनैतिक एकता टूटती थी, अव्यवस्था होती थी, जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता था। आज भी अगर ये टक्करें न रुकीं तो इतिहास के पुराने अनुभव नये होकर फिर सामने आयेंगे।

केंद्र और राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हों, तथा उन दलों में सत्ता के लिए देशव्यापी होड़ हो, यहाँ तक कि बुनियादी प्रश्नों पर भी वे एक राय न हों, तो स्वाभाविक है कि उनमें समय-समय पर गंभीर तनाव पैदा होते रहें। विकास के साधनों का बँटवारा, कर, खाद्यनीति, भाषा, आदि कितने ही प्रश्न हैं जिन पर केंद्र और कुछ राज्यों के दृष्टिकोण परस्पर-भिन्न हैं। और जब दिमाग पर दलगत प्रतिद्वंद्विता और पूर्वाग्रह का धुन्ध छाया रहता है तो आँखों के लिए और भी कठिन हो जाता है कि तथ्यों को साफ-साफ देख सकें। दुख तो यह है कि अब यह भावना भी दिनों-दिन क्षीण होती जा रही है कि मतभेद चाहे जो हों, देश के नाते हम सब एक हैं। विभिन्न दलों में एकता की तलाश से ज्यादा उत्कटता है मतभेदों को खोजने और प्रकट करने की।

हमारे संविधान में इस बात की गुञ्जाइश है कि केन्द्र और राज्यों में एकसाथ आधे दर्जन विभिन्न दलों की सरकारें हों, लेकिन इस रचना में केंद्र की सरकार का अपना अलग महत्त्व है। वह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी हालत में यह जरूरी है कि विभिन्न राजनैतिक दलों में मूल प्रश्नों पर 'कन्सेन्सस' हो, तथा केंद्र-सरकार निष्पक्ष हो। सरकार निष्पक्ष हो, इतना ही काफी नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से देश को विश्वास हो कि वह निष्पक्ष है। उसकी निष्पक्षता एक ऐसी शर्त है जिसके बिना आज के संघीय संविधान का चलना कठिन मालूम होता है। इस दृष्टि से दिल्ली में अभी हाल में 'एकता और लोकतंत्र' पर जो राष्ट्रीय कन्वेन्शन हुआ था उसने कुछ सुझाव दिये थे जो अत्यन्त उपयोगी हैं। उसकी निश्चित राय थी कि देश की एकता और सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र का शक्तिशाली होना आवश्यक है। साथ ही यह भी जरूरी है कि राज्यों में अभिक्रम जगे और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़े। ये दोनों बातें परस्पर-विरोधी नहीं, पूरक हैं। देश की बदली हुई परिस्थिति में केंद्र और राज्यों में अधिकारों का नये सिरे से बँटवारा होना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न योजना का है। योजना की सारी प्रक्रिया में विकेन्द्रीकरण की जरूरत है, किन्तु खाद्य ऐसी चीज है जिसे केंद्र के उत्तरदायित्व से अलग नहीं किया जा सकता। कन्वेन्शन का सबसे महत्त्वपूर्ण सुझाव था एक 'राष्ट्रपति की कौंसिल'—प्रेसिडेण्टस कौंसिल—बनाने के बारे में। कन्वेन्शन की राय थी कि राज्यों और केंद्र के बीच पैदा होने-वाले विवादों में तथा गवर्नरों की नियुक्ति के मामले में यह कौंसिल राष्ट्रपति को सलाह दे, ताकि यह कहने को न रहे कि दिल्ली में निर्णय कांग्रेस को सामने रखकर होते हैं। कौंसिल के संयोजक स्वयं उपराष्ट्रपति हों, उनके अलावा प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के पिछले चीफ जस्टिस, तथा पाँच अन्य सार्वदेशिक प्रतिष्ठा के व्यक्ति उसके सदस्य हों। इन पाँच को विभिन्न विधानसभाओं तथा लोकसभा के स्पीकर मिलकर चुनें, या स्वयं राष्ट्रपति संसद में विभिन्न दलों के नेताओं की सलाह से चुने। कौंसिल की सलाह मानने के लिए राष्ट्र-पति बाध्य नहीं होगा, लेकिन किस मामले में कौंसिल ने क्या सलाह दी, यह प्रकाशित हो जाना चाहिए, ताकि गलतफहमी के लिए गुञ्जाइश न रहे। अगर कन्वेन्शन की यह सलाह आवश्यक सुधारों के साथ मान ली जाय तो देश में फैला दुर्भावना का बादल बहुत कुछ साफ हो जायगा।

एक और बात ध्यान देने लायक है। जो राज्य आज अपने अधिकारों का नारा लगा रहे हैं—भले ही उनकी माँग में चाहे जितना औचित्य हो, वे स्वयं जिलों को, या और नीचे जाकर गाँवों को, कोई ठोस अधिकार नहीं देना चाहते। राज्यों की इसी अधिकार-लिप्सा के कारण पंचायती राज की सारी कल्पना मिट्टी में मिल गयी। जो ग्रामदान आंदोलन एक-एक गाँव की व्यवस्था और विकास की एक अधिकार-सम्पन्न इकाई बनाना चाहता है, उसके प्रति इतनी उपेक्षा क्यों है? क्या इसीलिए नहीं कि क्या केन्द्र, और क्या राज्य, नेताओं के सामने अपने दल की सत्ता का प्रश्न है, लोकसत्ता का नहीं? जब किसी राज्य की सरकार का दिल्ली से विवाद छिड़ता है तो जनता यह समझती है कि राज्य की सरकार उसके लिए दिल्ली से लड़ रही है। वह क्या जाने कि उसे खुद अपने अधिकारों के लिए किसी दिन अपने ही राज्य की सरकार से 'लड़ाई' छेड़नी पड़ेगी! हमारे देश में मूल 'लड़ाई' 'नागरिक-शक्ति' बनाम 'सैनिक-शक्ति' है, न कि राज्य बनाम केंद्र। राज्य और केंद्र, दोनों सैनिक-शक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन इतना होते हुए भी देश की एकता को कमजोर करनेवाले राज्य-केंद्र या राज्य-राज्य के विवादों का निपटारा सही, निष्पक्ष, ढंग से हो, इसकी उचित व्यवस्था में देर नहीं होनी चाहिए। दल, संसद, संविधान, सबका अपनी जगह महत्त्व है, किन्तु सबसे अधिक महत्त्व है देश का। ये रहकर ही क्या करेंगे अगर देश न रहा?•

हिंसक क्रान्ति का प्रयास : एक निष्फल चेष्टा

आपने अभी प्रखण्डदान किया। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अभिनन्दन नहीं करता। इसलिए कि इस काम में बहुत देरी हो रही है। गये साल बिहार की भिन्न-भिन्न पार्टियों के नेता, सर्वोदय-सेवक, ग्राम-पंचायत के मुखिया, सब इकट्ठा हो गये थे और उन्होंने तय किया था कि सारा बिहार गये साल अक्तूबर की २ तारीख को ग्रामदान में लायेंगे। अभी दूसरा वर्ष शुरू हो गया है। १॥ महीना हो चुका। बहुत देर हो गयी है। कई परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण काम नहीं बनता या बनता है। इसलिए मैं किसीको दोष नहीं देता। मैं अपने को पूछता हूँ—'तू क्यों अधीर है?' बाबा के हृदय में जरा भी उतावली नहीं। अपने हृदय में वह अत्यन्त शांति देखता है। अगर परमात्मा बाबा को आज उठा ले तो बाबा का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि सब सुधरेगा। बाबा यह भी चिन्ता नहीं करेगा कि वह मरेगा तो उसकी अस्थियां कहीं ले जायी जायँ। जहां सामान्य लोगों का उद्धार होता है उसी श्मशान में बाबा की क्रिया की जाय। बाबा के मन में पूर्ण धीरज है। दुनिया का काम परमात्मा देखता है। बाबा के सिर पर कोई बोझ नहीं है। लेकिन जमाने की रफ्तार तेज है और जमाने को धीरज नहीं है।

क्रान्ति का मूर्ख प्रयत्न

इस वक्त भारत में और आसपास की दुनिया में हिंसा की ताकतें जोर मार रही हैं। अगर यह होता कि हिंसा की सफल ताकतें काम करतीं तो बाबा उसे सपोर्ट करता। बाबा नक्सालबाड़ी की तरफ गया था (ठाकुरगंज, पूर्णिया)। वहाँ उसने यही कहा कि तुमने अगर सफल क्रांति की होती, हिंसा की ही सही, तो बाबा तुम्हें धन्यवाद देता। भारत की आज की 'स्टेटसको' से खूनी क्रान्ति बाबा पसन्द करता है; लेकिन वह निष्फल क्रान्ति पसन्द नहीं करेगा। अपने यहाँ कानून है, आत्महत्या अवैध मानी गयी है, लेकिन सफल आत्महत्या के खिलाफ कोई कानून खड़ा नहीं है। निष्फल प्रयत्न होगा तो उसके खिलाफ कानून है। वैसे ही कोई सफल खूनी क्रांति करे तो बाबा धन्यवाद देगा। लेकिन धनुष और तीर लेकर वे सफल क्रान्ति कैसे करेंगे? मैंने उन्हें समझाया, तुम धनुष और तीर लेकर क्रान्ति के लिए खड़े हो और तुमने वोट देकर ऐसी सरकार बनायी है जिसे सेना रखने का अधिकार दिया है तो सेना तुम्हें खतम करेगी। इसलिए मूर्ख लोगों को बाबा उत्तेजन नहीं देता, और ऐसा ही हुआ। सेना ने नक्सालबाड़ी की क्रान्ति को दबा दिया, खतम किया, वे असफल हो गये। लेकिन आज ग्रामदान का भी बोलबाला उतना नहीं है जितना नक्सालबाड़ी का बोलबाला है। नक्सालबाड़ी याने क्रांति का असफल, मूर्ख प्रयत्न। फिर भी उसकी कीर्ति फैली है। बाबा की भी कीर्ति फैल सकती है। कल बाबा अगर किसी घर में घुसकर चोरी करके खाना खाता है तो अमेरिका के अखबार में एकदम खबर आयेगी कि हिन्दुस्तान में इतना अकाल पड़ा है कि बाबा

विनोबा

जैसे को भी चोरी से खाना पड़ा! लेकिन बाबा ऐसा काम करता नहीं, इसलिए बाबा की कीर्ति दुनिया में फैलती नहीं। बल्कि बाबा तो ऐसे ढंग से काम करना चाहता है और कर रहा है कि लेट नाट दाय लेफ्ट हैण्ड नो द्वाट दाय राइट हैण्ड डूएथ।' यह बाबा की पद्धति है। हम भगवत् कार्य करते चले जायँ। हमें अपना इजहार करने की जरूरत नहीं। वह कार्य अपना इजहार करेगा।

मैं कहता यह था कि हिंसा की ताकतें जोर कर रही हैं। अभी बम्बई में हजारों रुपयों का माल जला दिया गया, कुछ लोग मर गये। उधर वाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा का। उसके 'प्रोटेस्ट' में दंगा किया गया। कहा जाता है कि हमारा देश गरीब है और इधर हजारों रुपयों का माल जलाते हैं। यह निष्फल प्रयत्न है। इससे कुछ होने-जानेवाला नहीं है। यह तो उछल-कूद है। इसलिए बुनियादी काम तो है सबसे नीचे के स्तर की जनता को ऊँचा उठाना। यह हम नहीं करते हैं तो बहुत खतरा बाबा देखता है।

अन्तिम व्यक्ति को न्यूनतम कब मिलेगा?

सब पार्टियों में बाबा के मित्र हैं। बाबा की यह बड़ी दुर्दशा है। तुम बड़े दुर्दैवी हो, अगर सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा-ही-अच्छा कहते हों। किसी भी पार्टीवाले को पूछा, क्या ग्रामदान ठीक है? तो कहेगा, हाँ ठीक है। ना कहता तो समझाने की बात थी। हाँ कहा तो बात खतम। प्लानिंग कमीशन में बाबा के मित्र पड़े हैं। हमने उनसे पूछा कि अंत्य को, सबसे आखरी जो है उसको, 'अण्टू दी लास्ट' को 'मिनिमम' (न्यूनतम) कब मिलेगा? 'मिनिमम' याने देह और आत्मा को इकट्ठा करने के लिए जितना देना होता है; 'आप्टीमम' (अधिकतम) नहीं।

वह मिनिमम कब दिया जायेगा? उनकी तरफ से उत्तर मिला सन् १९८५ में, याने १८ साल के बाद! मालूम नहीं, १८ साल के बाद हम रहेंगे या वे रहेंगे और क्या हालत होगी भारत की और दुनिया की। कौनसी ताकतें काम करेंगी यह कौन कह सकता है? सन् १९४७ में आजादी मिली। २२ साल हो गये। और १६ साल राह देखने की बात है। सन्त तुकाराम का वचन याद आता है। 'उद्धारासी नाहीं उधाराचे काम'—उद्धार में उधार नहीं चलता। एक आदमी डूब रहा है, चिल्ला रहा है, मदद में आओ। आप कहेंगे, आ रहा हूँ; दो घण्टे के बाद। चलेगा? तुरन्त मदद देनी होगी। उद्धार में उधार नहीं चलता। डूबते हुए को तारना है तो तुरन्त मदद देनी होगी। ऐसे वादे बिल्कुल व्यर्थ हैं, इसे हम फिजूल मानते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, प्लानिंग कमीशनवाले यह हिम्मत करते हैं भारत के सामने बोलने की। इसलिए इस बात की बहुत तीव्रता है। 'धर्मस्य त्वरिता गति'—धर्म की सफलता तब होती है जब धर्म तुरन्त होता है।

इसलिए मेरे प्यारे भाइयो, मैंने कहा मैं आपका अभिनन्दन नहीं कर सकता। जल्दी-से-जल्दी यह काम आपको पूरा करना चाहिए ताकि आगे का काम हम कर सकें।

पुरानी पीढ़ी बनाम नयी पीढ़ी

पुरानी पीढ़ी जाती है और नयी पीढ़ी आती है। नया और कल्याणकारी रूप प्रकट होता है। पुरानी पीढ़ी से अति कल्याणकारी पीढ़ी निर्माण होती है। लेकिन जहाँ नयी पीढ़ी निर्माण होती है वहाँ पुरानी पीढ़ी के साथ उसका संघर्ष होता है। नया जमाना, नयी माँगें, नयी उमंगें, नया उत्साह, इसका ख्याल पुराने लोगों को नहीं होता है, इसलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पुराने लोग पीछे खींचते हैं। मुझसे कहा जाता है कि भारत में विद्यार्थी बहुत उद्दण्ड हो गये हैं। मैं कहता हूँ, इतनी रद्दी तालीम, निष्क्रिय विद्या उन्हें दी जा रही है, उस तुलना में उनकी उद्दण्डता कुछ भी नहीं। अगर मैं विद्यार्थी होता तो आज के विद्यार्थी जितनी उद्दण्डता करते हैं उससे जरूर ज्यादा करता। नारायण के दो अवतार हो गये—परशुराम और राम। राम नया अवतार था, परशुराम पुराना। राम का अवतार हुआ उसे परशुराम स्वीकार नहीं कर सका। परशुराम मामूली आदमी नहीं था। वह भी नारायण का ही अवतार था। लेकिन पुराना अवतार नये अवतार को समझ नहीं सका। तुलसीदासजी ने लक्ष्मण और परशुराम का संवाद लिखा है। बात-बात में लक्ष्मण जवाब दे रहा है और परशुराम को चिढ़ा रहा है। और बीच में रामजी बोलते हैं, उसे शान्त करते हैं। नवजवान लक्ष्मण ने खूब तोड़ा है परशुराम को। दो पीढ़ियों का अन्तर प्रकट हो जाय, इसलिए तुलसीदासजी ने यह लिखा है। तो विद्यार्थियों को रोकना नहीं चाहिए। उनकी आशाएँ और आकांक्षाएँ ध्यान में लेकर उनको उत्तेजना देनी चाहिए, चालना देनी चाहिए।

आचार्यों की शक्ति प्रकट हो

मैं इलाहाबाद गया था। वहाँ मैंने बताया कि सारे उत्तर प्रदेश में और सारे भारत में भी आचार्यों की शब्द-शक्ति कब प्रकट होगी। मैं राह देख रहा हूँ। आचार्यकुल के बारे में मैंने अपने विचार वहाँ रखे। तो हिन्दी के साहित्यिक जैनेन्द्रजी पर उसका बहुत प्रभाव पड़ा। और उन्होंने तय किया कि इस काम के लिए वे एक साल देंगे। मैंने कहा था कि तीन शक्तियों पर मेरा विश्वास है: नम्बर एक में जन-शक्ति पर विश्वास है। जन-शक्ति याने लोक-शक्ति। उसे जगाने के लिए ग्रामदान के द्वारा काम चल रहा है। नम्बर दो में विद्वत् जन-शक्ति। देश के तटस्थ विद्वान और आचार्य इकट्ठा हों और अपने में राजनैतिक पक्षों की घुसपैठ होने न दें और तीसरी शक्ति है परमात्मा की।

एक है साक्षात जन-शक्ति, जो श्रम करती है और श्रम करने के कारण उनका जीवन पवित्र होता है। इन तीनों शक्तियों को मैं आवाहन कर रहा हूँ। आचार्यों की नयी शक्ति प्रकट होनी चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। आज भारत अन्धाधुन्ध है। कोई मार्गदर्शन नहीं है। आचार्यों की शक्ति प्रकट होती है तो भारत को एकत्र मार्गदर्शन मिलेगा और बहुत लाभ होगा। [भागलपुर, १८-२-१९६९]

गांधीजी और मौजूदा समस्याएँ

जे० बी० कृपालानी

हिन्दुस्तान की मौजूदा कठिनाइयों में गांधीजी यहाँ की सरकार और आम लोगों को क्या करने की सलाह देते यह बताना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर भी, कुछ भी कहना सिर्फ अन्दाज लगाना ही कहा जायेगा क्योंकि अपनी बात तो खुद गांधीजी ही कह सकते थे। वह सरकार के सबसे ऊँचे अधिकारी खुद न होते लेकिन सरकार व लोगों, दोनों को वह उस रास्ते पर चलने की सलाह देते जो देश के नंगे-भूखे लोगों के फायदे का होता; क्योंकि इन्हीं भूखे-गरीब लोगों की भलाई पर ही हिन्दुस्तान की तरक्की निर्भर है। वह हमेशा हिन्दुस्तान के आम लोगों की भलाई के नजरिये से सोचते थे। वह राजनीति के मैदान में आये भी यही खयाल लेकर, कि मुल्क के लाखों-करोड़ों की कमरतोड़ गरीबी दूर हो। सच तो यह है कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई शुरू करने के पहले उनकी सारी कोशिशें किसानों और मजदूरों की हालत में सुधार करने की तरफ लगी थीं। उनके लिए स्वराज का मतलब था हिन्दुस्तान की दर्दनाक गरीबी दूर होना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बने रहना सिर्फ इसीलिए ठीक कहा जा सकता है कि वह मुल्क के आम लोगों की भलाई करे। और इस एक चीज के सामने कोई भी दूसरी चीज, देशी या विदेशी, ज्यादा महत्त्व नहीं रखती। उनसे जब यह पूछा गया कि एक रूहानी आदमी होते हुए भी वह राजनीति में क्यों पड़े तो उन्होंने यही कहा कि भूखे हिन्दुस्तान के आगे वह रूहानियत एक थाल भात की शक्ल में ही ले जा सकते हैं।

गरीब की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो

गांधीजी हिन्दुस्तान के आम लोगों के लिए चाहते क्या थे? क्या वही सारी चीजें जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोटर या घरेलू काम की मशीनें, वगैरह वगैरह, जो पश्चिमी मुल्कों में मामूली नागरिक को भी हासिल हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वह यह जरूर चाहते थे कि यहाँ के हर आदमी की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हों, उसे रोटी, कपड़ा, मकान की सहूलियतें हों, हर बच्चे को ७ साल की जरूरी बेसिक तालीम मिले, हर इन्सान को डाक्टरी मदद मिले और इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी रोजगारी मिले। इसीलिए उन्होंने 'स्वदेशी' की भावना फिर से जगायी। लेकिन उनकी 'स्वदेशी' के साथ आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों चीजें मिली हुई थीं। इस आध्यात्मिक पहलू को गीता में 'स्वधर्म' कहकर समझाया गया है। जहाँ तक 'स्वदेशी' के आर्थिक पहलू की बात है, उसमें देश या विदेश की बड़ी-बड़ी मिलों या कारखानों के मुकाबिले घरेलू उद्योग-धन्धों की चीजों को अहमियत दी जाती है। उन्हें बिजली, इस्पात के कारखानों, जहाजरानी वगैरह से कोई एतराज नहीं था लेकिन इस मुल्क को बनाने की उनकी योजना में पहल किसको दी जाय इसे तय करने का नजरिया जरूर बदल जाता है। मुल्क की पंचसाला योजनाओं में जो बड़े उद्योग-धन्धों को अहमियत दी गयी उसे वह जरूर नापसन्द करते क्योंकि इससे हमारे औद्योगिक विकास को तो बढ़ावा जरूर मिला लेकिन उसे सम्भाल सकनेवाला मुल्क में खेती-बारी और घरेलू उद्योग-धन्धों का आधार तैयार नहीं किया गया।

www.vinoba.in

'स्वदेशी' सम्बन्धी अपने इन्हीं खयालों को अमली जामा देते हुए गांधीजी ने अपना रचनात्मक कार्यक्रम निकाला, जिसमें चरखे को प्रतीक के तौर पर बीच में जगह दी गयी। वैसे वह एक समय कौंसिल-बहिष्कार की बात कहते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि राजनीतिक अधिकार हाथ में लेने से मुल्क की भलाई होगी तो उन्होंने कांग्रेस को सूबों में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बनाने की सलाह दी, गो वह जानते थे कि उस समय की सियासत के बीच कांग्रेस अधिकार का पूरा फायदा नहीं उठा सकती थी। कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के सामने उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करने की बात रखी। वह चाहते थे कि मिनिस्टर लोगों के 'ट्रस्टी' के तौर पर रहें और मुल्क की आम जनता का खयाल करके सादगी की जिन्दगी बितायें।

आजादी के बाद चूँकि आम लोगों की माली हालत में सुधार नहीं हुआ, अतः वे मुल्क को उन्हीं नीतियों की तरफ लौट पड़ने की सलाह देते जिन्हें आजादी के पहले कांग्रेस ने और उसकी मार्फत सारे मुल्क ने अपनायी थीं।

शासन की शान-शौकत खत्म हो

हमारी आर्थिक बीमारियों को दूर करने के लिए वह सरकार और मुल्क दोनों को जितना हो सके कमखर्ची और किफायत की सलाह देते। फालतू और महज शान-शौकत-वाले खर्चों को तो वह कतई बन्द करवा देते। वह राष्ट्रपति और गवर्नरों दोनों को सादगी से रहने और अंग्रेजी हुकूमत के दिनों की शान-शौकत छोड़ देने के लिए कहते। राज्य-विधान-सभाओं से वह सेकेण्ड-चेम्बर जैसी फालतू चीज खत्म करने की सलाह देते। विदेशों से यह भारी भरकम कर्ज भी वह न लेने देते। अपनी बिसात से बाहर खर्च करने की बात वह कभी न कहते। खाने-पीने की आज इतनी तंगी की हालत में वह आत्म-संयम की ही बात कहते क्योंकि उनका यह खयाल था कि कुदरत हमेशा सबको जरूरत भर पैदा करती है और इस तरह सबकी जरूरतें पूरी भी हो सकती हैं बशर्ते कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए चीजों को बटोर न लें और न चीजों का गलत इस्तेमाल ही करें। मेरा अपना खयाल है कि खाने की यह बेहद कमी केवल इस वजह से है कि उसका ठीक से बँटवारा नहीं होता और लोगों में उसे खरीदने का माद्दा नहीं है।

मतदाता का शिक्षण हो

जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र का सवाल है, गांधीजी अपनी सारी ताकत हमारे 'मालिकों' यानी वोट देनेवालों को ट्रेनिंग देने में खर्च करते। उनके रचनात्मक कार्यक्रम का भी यह एक हिस्सा था। आज जाति, धर्म, भाषा वगैरह को लेकर वोट देनेवालों को जो भुलावे में डाला जाता है उसकी तो वह पूरी खिलाफत करते। चुनाव को लेकर जो तमाम गलत तरीकों से पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे वोट के लिए अन्धाधुन्ध खर्च किया जाता है और कभी-कभी जो सरकारी मशीनरी का भी गलत इस्तेमाल किया जाता है उसे गांधीजी कभी बर्दाश्त न करते। वह यही महसूस करते कि मुल्क और जनतंत्र तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब वोट देनेवाले समझदार हों और सही रास्ते पर चलें। साथ ही, वे साम्प्रदायिकता तथा जाति-पाँति और अपने खुद के स्वार्थ के मुकाबिले देश और राष्ट्र को ज्यादा महत्त्व दें।

हृदय-परिवर्तन संगठन से पहले

अन्तरराष्ट्रीय मामलों में गांधीजी सिर्फ सतही दिलचस्पी ही दिखलाते। उनका यह खयाल था कि इन्सान को पहले अपने घर की ठीक देखभाल करना चाहिए। बाहर से आने-वाले खास लोग जब उनसे यह कहते कि बाहर उनके विचारों के प्रचार की ज्यादा गुंजाइश है और संगठन के काम के लिए भी उनको काफी पैसे मिलते, वगैरह वगैरह, तब वह यही जवाब देते थे कि "मुझे पहले यहाँ हिन्दुस्तान में कुछ करके दिखाना है।" वह मानते थे कि सुधरा हिन्दुस्तान खुद दुनिया के सामने एक मिसाल बन जायेगा। इस सम्बन्ध में वह अक्सर कहा करते थे कि जैसे आदमी परिवार के लिए, परिवार गाँव के लिए, गाँव जिले के लिए, जिला सूबे के लिए और सूबा राष्ट्र के लिए कुरबान हो जाता है, वैसे ही जरूरत पड़ने पर एक राष्ट्र को दुनिया के लिए कुरबान हो जाना चाहिए। वैसे वह संयुक्त राष्ट्रसंघ की हमेशा भलाई ही चाहते, लेकिन वह यह भी जानते थे कि जबतक बड़ी ताकतों के राजनीतिज्ञों के दिल और दिमाग भी इस विश्वसंगठन के सिद्धान्तों को कबूल न कर लें तबतक ऐसी चीजें संगठन के एक ढाँचे के अलावा कुछ अधिक महत्त्व नहीं रखतीं। दिल बदले बगैर सिर्फ संगठन उनकी नजर में कोई कीमती चीज न थी।•

भूदान तहरीक

उर्दू भाषा में अहिंसक क्रांति की संदेशवाहक पाक्षिक पत्रिका

वार्षिक शुल्क : ४ रुपये

सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, वाराणसी–१

एक राजनीतिक सुझाव

हमने एक राजनीतिक सुझाव पेश किया है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पैंसठ साल की उम्र में रिटायर करते हैं, तो क्या वजह है कि राजनीतिज्ञ लोग मरते दम तक राजनीति में दखल देते रहें? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का दिमाग समत्वयुक्त होता है, फिर भी आप उन्हें रिटायर करते हैं। कोई राजनीतिज्ञ अपने लिए यह 'क्लेम' (दावा) तो नहीं कर सकता कि उसका दिमाग न्यायाधीश से अधिक समत्वयुक्त होता है। इसलिए होना यह चाहिए कि जैसे चुनाव में खड़े होने के लिए पच्चीस साल की उम्र आवश्यक मानी गयी है, वैसे ही साठ साल के बाद कोई चुनाव में खड़ा न हो, जिससे पैंसठ तक सब अपने-आप रिटायर हो सकें।

(कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पाजी से हुई चर्चा से)

—विनोबा

ग्रामदान के सिवाय कुछ सूझता नहीं

www.vinoba.in

[गांधी स्मारक निधि और राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति के मंत्री श्री देवेन्द्र कुमार गुप्त गत १ फरवरी '६९ को विनोबाजी से राजगीर में मिले थे। विनोबाजी और श्री देवेन्द्रभाई की बातचीत का कुछ अंश यहाँ दिया गया है। —सम्पादक]

नया और पुराना मन

देवेन्द्र भाई—गांधीकाल में जिन कार्यक्रमों को सार्वभौमिकता प्राप्त हो गयी थी—जैसे खादी, हरिजन-सेवा आदि उनको तो आज सब लोग मान लेते हैं, पर जिन गांधी-कार्यक्रमों का विकास बाद में हुआ है—जैसे शान्ति-सेना, ग्रामदान आदि इनको सार्वभौमिकता प्राप्त कराना बाकी है। जो मान्य करते हैं, उनको शताब्दी-समितियाँ मदद करती हैं। पर इसे अपना कार्यक्रम मानकर थोड़े ही स्थानों पर लोग चल रहे हैं।

विनोबा—नये और पुराने मन में अन्तर है। जो गांधीजी के साथ थे, उनके समय के हैं, वे कहते हैं कि ग्रामदान बहुत अधिक की अपेक्षा करता है इसलिए व्यवहार्य नहीं है। और जो नये लोग हैं, गांधीजी के बाद के और नये मन के, वे मानते हैं कि जितनी जमाने की आकांक्षा है, उससे बहुत कम की अपेक्षा ग्रामदान में है। इसलिए ग्रामदान का कार्यक्रम पुराने और नये, दोनों मनों के अनुकूल बने यह हमारी कोशिश है।

देवेन्द्र भाई—यह समझाने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं कि ग्रामदान का अर्थ है ग्रामसंकल्प। गाँव में सबकी भलाई पूरा गाँव मिलकर करेगा। इस प्रकार जब लाखों लाख गाँव अपनी अनुमति देते हैं तो उस संकल्प पर अमल करने में देर न लगेगी। कुछ लोगों को प्रान्तदान, राष्ट्रदान जैसे शब्दों से एतराज है।

विनोबा—हमें इसमें गलती नहीं दीखती। बापू ने कहा था कि देश आजाद इसलिए हो कि विश्वहित के लिए अपने हितों का समर्पण कर सके। इसीको राष्ट्रदान कहेंगे। ग्रामदान का अर्थ है व्यक्ति अपने हितों को ग्राम के लिए समर्पित करे। जब नया विचार बड़े पैमाने पर सबके पास पहुँचता है और कबूल होता है तो उसमें से समाज-परिवर्तन की शक्ति निकलती है। मुझे तो ग्रामदान के सिवाय कुछ सूझता नहीं। इसमें आप लोग क्या मदद कर रहे हैं?

एक और येलवाल

देवेन्द्र भाई—दस साल पूर्व येलवाल में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें सबने ग्रामदान-कार्यक्रम को अपनी सहमति प्रदान की थी। अब तो काफी विकास हो चुका है। क्यों न वैसी बैठक दोबारा बुलायी जाय?

विनोबा—बाबा तो किसीको बुला नहीं सकता, क्योंकि बाबा किसीके बुलाने पर जाता नहीं। पिछली बार सर्व सेवा संघ की ओर से बुलावा गया था तो बाद में कुछ एतराज उठा कि बड़ी-बड़ी राजनैतिक पार्टियों को और जिसमें विशेषतया शासन-कर्ता भी आयें ऐसे सम्मेलन को बुलानेवाली बहुत बड़ी जमात होनी चाहिए। छोटे लोगों के बुलाने पर हम आयें, यह उचित नहीं, पर उस समय पण्डित नेहरू थे। उनका-हमारा व्यक्तिगत स्नेह-सम्बन्ध था। पर अब वे नहीं रहे, तो सवाल कठिन हो जाता है।

देवेन्द्र भाई—राजनैतिक दलों में जो बड़े हैं वे इन दस सालों में अधिक अनुभवी बने हैं और नये, जो राजनीति में आये हैं उनको भी अपनी स्थिति का भान हुआ है। राजनेता की कदर इस काल में बढ़ी नहीं है, कम हुई है। साथ ही सर्व सेवा संघ सतत कार्यरत रहा है तो उसकी साख भी कुछ बढ़ी है, इसलिए यह अन्तर कम ही हुआ है। अर्थात् अब ऐसा सम्मेलन बुलाया जाय और सर्व सेवा संघ बुलाये तो ठीक ही रहेगा।

विनोबा—वैसी स्थिति में अगले सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर २५-२६ अक्तूबर के करीब राजगीर में सबको बुला सकते हैं।

देवेन्द्र भाई—ये सब लोग आयेंगे तो सर्व सेवा संघ के निमंत्रण पर, लेकिन आपसे मिलना चाहेंगे और सम्मेलन में सबके साथ और लोगों की तरह आकर भाग लें, इसमें उनकी दिलचस्पी उतनी नहीं होगी। इसलिए इस काम के लिए तो खास दिन अलग ही आगे-पीछे रखने होंगे और आप भी रहें, यह मानना होगा।

विनोबा—अब बिहारदान का काम पूरा होगा तो भी एकाएक तो हमको कोई जाने नहीं देगा। शताब्दी-काल का सर्वोदय सम्मेलन है, इसलिए भी बहुतों का आग्रह है कि बाबा उसमें रहे। इसलिए सम्भावना माननी चाहिए कि बाबा तबतक बिहार में रहेगा तो वहाँ आयेगा।

ग्रामदान के बाद की राष्ट्रीय योजना

देवेन्द्र भाई—दक्षिण-पूर्व एशिया के और बौद्ध देशों के प्रतिनिधियों को, इस अवसर पर राजगीर-सम्मेलन में निमंत्रित करने का विचार चल रहा है। इससे बड़ा उत्साह आ सकता है।

विनोबा—बाहर से लोगों को बुलाते हो तो उनको कुछ दिखाना भी चाहिए। यह जो गया और पटना का बौद्ध-तीर्थक्षेत्र है इसमें दस हजार गाँव हैं। इनमें यदि अक्तूबर के पूर्व ग्रामदान के बाद का काम शुरू हो जाय, कुछ काम दीखे तो आनेवालों का उत्साह बढ़ेगा। इस काम को गांधी-शताब्दी समिति को राष्ट्रीय योजना के रूप में करना चाहिए।

गांधी स्मारक निधि सबकी स्मारक निधि

देवेन्द्र भाई—बापू के निधन के बाद साल-भर में जो निधि एकत्र हुई थी उसके ट्रस्टियों ने यह विचार व्यक्त किया कि जिस अनुसार उसका विनियोग सोचा गया था, वह अब हो गया है। जिन प्रान्तों से जितनी रकम आयी थी उसका तीन-चौथाई उन उन प्रान्तों में संस्था बनाकर सौंप दिया जाय। जो चौथाई भाग अखिल भारतीय कार्य का था उसमें से तीन-चार बड़ी संस्थाएँ बना दी गयी हैं, जैसे कुष्ठ सेवा संस्थान, शान्ति प्रतिष्ठान, संग्रहालय समिति आदि। प्रान्तीय गांधी-निधि संस्थाएँ और कार्यविशेष के लिए बनी संस्थाएँ बनी रहेंगी, पर अखिल भारत निधि का संगठन समाप्त किया जाय। पर दिसम्बर में निधि-संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक में प्रस्ताव आया कि सबको जोड़ने के लिए केन्द्रीय संस्था आवश्यक है। इसको ट्रस्टियों ने→

www.vinoba.in

श्री जयप्रकाश नारायण

जिस समय लोग यह कहते हैं कि श्री जयप्रकाश नारायण को राजनीति में आना चाहिए और देश की बागडोर सँभालनी चाहिए तब वे भूल जाते हैं कि श्री जयप्रकाश राजनीति में हैं। उनकी राजनीति चुनाव और हड़तालों की राजनीति नहीं, वरन् रचनात्मक कार्यक्रम पर आधारित नीति है, सर्वोदय-नीति है। सर्वोदय-दर्शन के अधीन ग्रामदान-कार्यक्रम उनका प्रमुख आधार है। ग्रामसभा उसकी बुनियादी इकाई है। देश के ५ लाख ५७ हजार गाँवों में से ८७ हजार गाँव ग्रामदानी बन चुके हैं। शीघ्र ही यह संख्या एक लाख तक पहुँचनेवाली है। उनके कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के राजनीतिक उम्मीदवार को चुनने का दायित्व क्षेत्र की ग्रामसभाओं ने मिलकर निभाना जिस दिन प्रारम्भ कर दिया, उस दिन सभी चीख-पुकार मचानेवाले राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की धरती सहसा खिसक जायेगी। उस समय श्री जयप्रकाश नारायण और उनके कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त कोई भी मैदान में न टिक सकेगा। देर केवल सर्वोदय-दर्शन के संपूर्ण भारतीय ग्राम-समाज तक पहुँचने की ही है।

ग्रामदान कार्यक्रम गांधीवाद पर बुनियादी तौर से आधारित है। ग्रामदानी गाँव की समूची धरती पर ग्रामसभा का स्वामित्व होता है। दान में आयी भूमि का वितरण ग्रामसभा भूमिहीन ग्रामीणों में करती है। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक ग्रामवासी को जीवन की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति का सहज अवसर हो; वह अपने भोजन-वस्त्र, साज-समान, शिक्षा-दीक्षा में आत्मनिर्भर हो और उन्नति के लिए उसका रास्ता अवरुद्ध न हो।

इस कार्यक्रम के पीछे गांधीवाद का मूल सिद्धान्त है कि अपनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति जरूरतमंद पड़ोसी को दें। साम्यवाद का वह अंश है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार संपत्ति अर्जित करने से आगे अपनी आवश्यकता के अनुसार ही संपत्ति का उपभोग करो। साधु-संतों की उस वाणी की भी प्रेरणा सम्मिलित है कि "सबै भूमि गोपाल की", अतः उसका सम वितरण हो। राजनीति से अधिक यह कार्यक्रम धार्मिक है और सामाजिक न्याय की प्राप्ति से आगे इसकी मूल प्रेरणा आध्यात्मिक है। परामर्श द्वारा हृदय-परिवर्तन समूची धारणा के पीछे सक्रिय है। कभी-कभी यह कपोल कल्पना 'यूटोपिया'-सी प्रतीत होती है, लेकिन बुद्ध, महावीर और मार्क्स की परिकल्पनाएँ भी 'यूटोपिया' ही थीं। गांधी की कल्पना के समान निर्माण के प्रयास को ही बीच में क्या निस्सार समझा जाय?

तथापि उपलब्धि की प्रक्रिया में यह कार्यक्रम निर्विरोध रहेगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। दो ओर से प्रबल विरोध आयेगा। निजी क्षेत्र से यह तर्क आयेगा कि उद्देश्य यदि मनुष्य को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ही करना है तो सारी जमीन हमें दो। हम उसे पूरा करेंगे। और साम्यवादी शिविर से यह तर्क आयेगा कि जब जमीन किसी एक की नहीं है तो उसमें हिस्सा बाँटने के लिए किसीके सामने रिरियाने की क्या जरूरत है। वोट हमको दो, अगले ही दिन जमीन का वितरण हम कर देते हैं। दोनों ही तर्क गलत नहीं हैं। श्री जयप्रकाश का मार्ग मध्यम मार्ग है, सम्मिलित मार्ग है। इस प्रयोग में से निजी नवोन्मेषवादी दर्शन भी अधिक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकता है और साम्यवादी तत्त्वों को भी शक्ति मिल सकती है।

सर्वोदयवादी राजनीति किसीके विरोध में यकीन भले ही न करती हो, लेकिन विरोधी तर्कों की जवाबदेही से नहीं बच सकती। जबतक जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना है तबतक सिद्धान्त और परिणाम, दोनों का ही खुलासा करते रहना पड़ेगा। गाँव से बाहर भी जीवन है। फिलहाल तो सारा जीवन गाँव से बाहर ही है। गाँव के नेता भी अपनी सफलता के लिए बाहरी साधनों के सर्वथा अधीन हैं। परिणाम से बड़ा तर्क कोई नहीं होता। कुतर्क से बड़ा अवरोध कोई नहीं होता। आशा है सर्वोदय-अभियान सभी अपेक्षित प्रतिरोधों का सामना करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे चलेगा। सही जानकारी के अभाव में सर्वोदय-दर्शन देश के बौद्धिक वर्ग को आकृष्ट नहीं कर पाया है। वह अ-स्फूर्त जीवन-दर्शन नहीं बन पाया है। परिणाम से बुनियाद पक्की न बनी तो पहले से फैले हुए भ्रमों में और भी गहरी गुत्थियाँ पड़ जायेंगी।

—'नवभारत टाइम्स' का सम्पादकीय नोट, ५ मार्च, १९६९

→पुनर्विचार करके मान्य किया है। इस प्रकार निधि ने अपने केन्द्रीय संगठन को जारी रखने का निर्णय लिया है।

विनोबा—गांधी स्मारक निधि को नये संग्रह करते रहने चाहिए। अपने देश में जीवन से अधिक मृत्यु, चेतनादायी सिद्ध होती दीखती है। मरने पर धन एकत्र करके स्मारक बनाना, चाहे जीते-जी उसके बारे में चिन्ता न रखी हो, ऐसा होता है। इसलिए गांधी-कार्य में जो भी बड़े लोग मरें और उनके निमित्त जनता से जो भी धन संग्रहीत हो, वह गांधी स्मारक निधि में जाये। इस प्रकार गांधी के स्मारक में, उस कार्य में लगे सभी लोगों का स्मारक समा जाता है। ●

विनोबाजी का कार्यक्रम

१७ से २५ मार्च : बांका :

पता—बि०खा०ग्रा० संघ, खादी भंडार
बांका
जिला—भागलपुर

२६ से २८ मार्च : देवघर :

पता—ग्रामोद्योग समिति
देवघर
जिला—संथाल परगना।

२९ मार्च को : पटना—तूफान एक्सप्रेस से रात ९ बजे पहुँचेंगे।

पता—ग्रामदान प्राप्ति-संयोजन समिति
कदमकुआँ
पटना-३

—कृष्णराज मेहता

एकता और लोकतंत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन

www.vinoba.in

[गत २१ से २३ फरवरी '६९ तक दिल्ली में 'राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र' पर 'राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन श्री शंकरराव देव की अध्यक्षता में हुआ था। 'भूदान-यज्ञ' के ३ मार्च, '६९ के अंक में उक्त सम्मेलन का समाचार प्रकाशित किया जा चुका है। सम्मेलन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। —सं०]

एकता और लोकतंत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का विचार पहली बार श्री शंकरराव देव ने १ से ३ सितम्बर, १९६७ को सर्व सेवा संघ की सेवाग्राम की बैठक में प्रस्तुत किया था। उस बैठक में यह महसूस किया गया था कि एकता और लोकतंत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के पहले पूर्वतैयारी करने की आवश्यकता होगी। पहले कदम के तौर पर एक पूर्वतैयारी-कमेटी गठित हुई, जो नयी दिल्ली स्थित 'इण्डिया इंटरनेशनल सेण्टर' में २७-२८-२९ जनवरी, १९६८ को पहली बार मिली। वहाँ पूर्वतैयारी करनेवाली कमेटी ने तय किया कि एक की जगह तीन राष्ट्रीय सम्मेलन होने चाहिए, क्योंकि एक ही राष्ट्रीय सम्मेलन में एकता और लोकतंत्र से सम्बन्ध रखनेवाले सभी मुख्य प्रश्नों के साथ न्याय बरतना संभव न हो पायेगा। अतः वहाँ यह तय हुआ कि पहला राष्ट्रीय सम्मेलन एकता और लोकतंत्र के मुद्दों पर ही गौर करेगा। अगले दो राष्ट्रीय सम्मेलन (१) आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रश्नों, तथा (२) प्रतिरक्षा और वैदेशिक नीति पर होंगे। पूर्वतैयारी की कमेटी ने अपने आपको राष्ट्रीय सम्मेलन की कमेटी में रूपान्तरित कर लिया और चार अध्ययन-दलों की नियुक्ति करके उन्हें विचारणीय सुझाव तैयार करने का भार सौंपा।

जब कि यह सब तैयारियाँ चल ही रही थीं, उसी दरमियान भारत सरकार की ओर से दो ऐसे काम हुए, जिनका राष्ट्रीय सम्मेलन के दोनों विषयों—एकता और लोकतंत्र—से नजदीकी सम्बन्ध था—(१) भारत सरकार ने लोकसभा के आदेश पर 'दलबदल' पर एक समिति की नियुक्ति। (२) भारत की प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय एकता समिति को पुर्नजीवन प्रदान करना।

जब भारत सरकार की ओर से 'दलबदल समिति' काम करने लगी तो 'राष्ट्रीय सम्मेलन' ने दलबदल पर अपना समय न लगाने की बात तय की। राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे विषय 'राष्ट्रीय एकता' के साथ 'राष्ट्रीय भावनात्मक एकता' का गहरा सम्बन्ध होने के कारण पूर्वतैयारी समिति ने महसूस किया कि यद्यपि भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय भावनात्मक एकता समिति' पुनरुज्जीवित हो चुकी है, फिर भी राष्ट्रीय एकता का विषय इतना महत्त्वपूर्ण और उलझनों से भरा हुआ है कि इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे महत्त्वपूर्ण और गैरसरकारी प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय मंच में विचार हो तो वह राष्ट्रीय भावनात्मक एकता समिति के लिए भी महत्त्वपूर्ण होगा और आम जनता के लिए भी।

सम्मेलन की पूर्वतैयारी करनेवाली समिति ने राष्ट्रीय परिस्थिति के सम्बन्ध में अपना मन्तव्य प्रकट करते हुए कहा—

"राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र देश के उद्देश्यों में सर्वाधिक महत्त्व के उद्देश्य हैं, लेकिन (१) अभी तक इनके अर्थ और इनको सिद्ध करने के उपायों के बारे में एकमत नहीं है और (२) इन दोनों उद्देश्यों को देश की भीतरी फूट, बढ़ती हुई राजनैतिक अस्थिरता तथा कुछ अन्य विघटन की प्रवृत्तियों से खतरा पैदा हो गया है।

देश की वर्तमान राजनीति, अर्थनीति और समाजनीति के बारे में हर सोचने-समझनेवाले आदमी को चिन्ता हो रही है। स्थिति खतरनाक हो गयी है यह मानने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस हालत में कुछ न करके बैठे रहना एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। भारत इस समय जिस अजीब हालत में से गुजर रहा है, उसमें राजनीति अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा बढ़ी-चढ़ी भूमिका निभा रही है। आज जब कि राजनीति पर बहुत सारा दारोमदार निर्भर है, राजनीति की खुद की जो हालत है, उसके ही कारण सबसे ज्यादा चिन्ता बढ़ रही है।

देश की समस्याएँ बहुत व्यापक हैं, बहुत अधिक हैं और कठिन भी हैं। इन समस्याओं में से अनेक ऐसी हैं, जिनका जल्दी हल होना चाहिए ऐसा परिस्थिति का दबाव है। और यह भी निश्चित-सा है कि किसी संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास द्वारा ही ये समस्याएँ हल हो सकेंगी, जो लगातार त्याग और कठोर श्रम पर आधारित हों। सबसे बड़ी बात है कि इन समस्याओं को राष्ट्रीयता की गहरी भावना से ही सुलझा पाने की आशा की जा सकती है। आज की जो राजनैतिक संस्थाएँ हैं और उनकी जो कार्य-प्रणाली है उसने एकता के बदले मतभेद ही बढ़ाये हैं। जहाँ एकजुट होकर काम करने की जरूरत है वहाँ इनके कारण अलग-अलग शक्ति बर्बाद करने की मनोभावना पनपी है। कर्तव्य की अन्तःप्रेरणा से काम करने के बजाय कर्तव्य की अवहेलना चल रही है और राष्ट्रीयता की जगह क्षेत्रीयता और संकुचितता का प्रभाव काम कर रहा है।

इस स्थिति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि राजनीति की इन संस्थाओं और उनकी कार्य-प्रणाली के दायरे के बाहर कोई ऐसा प्रयास किया जाय, जिससे कुछ सर्वमान्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में सर्वसम्मत मानस बन सके और सर्वसम्मत प्रयास को बढ़ावा मिलने की स्थिति बने।"

राष्ट्रीय सम्मेलन ने यह प्रयास किया कि 'राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र' के प्रश्नों के बारे में सर्वसम्मत मानस और सर्वसम्मत कार्य-दिशा का स्वरूप सामने आये।

राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में अपने विचार प्रकट करते हुए श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि "हमारे देश की आज जो स्थिति है उसमें मतभेदोंवाले मुद्दों पर जोर डालना राजनीति का स्वधर्म बन गया है। सत्ता में पहुँचने के संघर्ष में विजयी होने के लिए राजनीतिक दलों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे एक-दूसरे के विरुद्ध काम करें। इस परिस्थिति का नतीजा यह है कि राष्ट्रीय पुरुषार्थ और कर्मशक्ति छिन्न-भिन्न हो गयी है, जब कि जोरदार राष्ट्रीय विकास के लिए एकजुट होकर प्रयत्नशील होना समय की माँग है। राष्ट्रीय शक्ति का जो क्षय आज हो रहा है वह नहीं होता, यदि राजनैतिक दलों की

तादाद कुछ सीमित होती। जबतक इतने अधिक राजनैतिक दल बने रहेंगे तबतक परिस्थिति वही रहनेवाली है, जो आज मौजूद है। भारत के कई प्रदेशों में, जिनमें दो तो सबसे बड़े हैं, प्रशासन का कार्य ठप्प पड़ा है। अतः प्रदेशों का विकास भी, या तो रुक गया है या नाममात्र का हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो गिरावट दिखाई देती है वह अधिकांश रूप में राजनैतिक परिस्थिति का ही परिणाम है।"

श्री जयप्रकाशजी ने अपने भाषण में आगे कहा कि इस स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों को यह सूझा कि राजनैतिक दलों के कार्य का जो परम्परागत और स्पर्द्धामूलक दायरा बना हुआ है उसके बाहर विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को एकत्र किया जाय। वे यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या आज की परिस्थिति में क्रियान्वित होने योग्य कुछ राष्ट्रीय सर्वानुमति के मुद्दे तय हो सकते हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रीय संकल्प-शक्ति देश की कुछ बुनियादी समस्याओं के निराकरण में विनियोजित हो सके ?

श्री जयप्रकाशजी ने सर्वसम्मति की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि यह कोई नयी बात नहीं है। कोई भी समाज या सामाजिक संगठन व्यक्ति के जीवन-मूल्यों, अधिकारों, कर्तव्यों, रहन-सहन के ढंग और पारस्परिक व्यवहार के कुछ सर्वसम्मत आधारों पर ही टिका रहता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के सदस्यों के बीच उनके राजनैतिक पहलू के बारे में कुछ सर्वसम्मत धारणा होती है और दुनिया भर में अनेक प्रकार के राजनैतिक और सामाजिक संगठन किसी-न-किसी प्रकार की सर्वानुमति के आधार पर ही अस्तित्व में हैं।

आमतौर से सर्वानुमति द्वारा समाज में स्थायित्व और क्रमबद्धता को पोषण प्राप्त होता है, अतः परिवर्तन तथा विकास चाहनेवालों को असहमति का अवलंबन करना पड़ता है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है, जब कि प्रगति, परिवर्तन और विकास सर्वसम्मति के बगैर असंभव-से हो जाते हैं और हमारे देश की आज ऐसी ही परिस्थिति है। अपने देश की परिस्थिति में अनेक ऐसे राष्ट्रीय प्रश्नों की मिसालें हैं कि चूँकि उनके बारे में देश के राजनैतिक दलों में कोई सर्वसम्मति नहीं बन पायी, इसलिए अत्यावश्यक होते हुए भी उन्हें शीघ्रता और कारगर ढंग से हल नहीं किया जा सका।

अब सवाल यह है कि जो राजनैतिक दल सत्ता-प्राप्ति की कशमकश में मशगूल हैं, क्या वे इतने के लिए भी राजी किये जा सकते हैं कि वे अपनी कशमकश की स्पर्द्धा-मूलक राजनीति जारी रखते हुए कुछ हद तक पूरक रूप में सहयोगमूलक राजनीति को स्वीकार कर लें ?

देश के राजनीतिक दलों के प्रति अपने उद्‌गार प्रकट करते हुए श्री जयप्रकाशजी ने कहा कि यद्यपि उनकी राजनैतिक नैतिकता में गिरावट आयी है, फिर भी उनमें और देश के सभी लोगों में अभी इतनी राष्ट्रीयता बची हुई है कि सबके हित के काम के लिए सब मिलकर अपनी शक्ति लगा सकेंगे। यह देखा ही गया है कि सरकार बनाने जैसे अपेक्षाकृत कम महत्त्व के काम के लिए आपस में भारी मतभेद रखनेवाले राजनीतिक दल भी एक-दूसरे के करीब आये। इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उससे और ऊँचे उद्‌देश्य की पूर्ति के लिए वे निकट नहीं आयेंगे। यदि भारत के राजनैतिक दल अपनी वर्तमान प्रतिस्पर्द्धात्मक राजनीति को छोड़कर एक-ब-एक सर्वानुमति की राजनीति को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो पाते, फिर भी यदि वे इतने भर के लिए राजी हो सकें कि पूरक रूप में वे सर्वानुमति की राजनीति को मान्य कर लेंगे तो आज की परिस्थिति में से निकलकर हमारा देश काफी आगे जायेगा। प्रसन्नता की बात है कि सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों ने आमतौर से सर्वानुमति की राजनीति की प्रक्रिया को अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया।

राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य सुझाव

(१) केन्द्र-राज्य सम्बन्ध : राष्ट्रीय सम्मेलन ने एकमत से यह राय जाहिर की कि भारतीय संविधान के २६३वें अनुच्छेद के अनुसार 'अन्तरराज्य परिषद' (इंटर-स्टेट काउंसिल) का गठन होना चाहिए। सम्मेलन की राय रही कि 'अन्तरराज्य परिषद' न सिर्फ केन्द्र और राज्य के आपसी विवादों पर विचार कर सकेगी, बल्कि ऐसे कारगर उपायों का भी सुझाव देगी, जिससे राज्य और राज्य, राज्य तथा केन्द्र के बीच नीति और कार्यक्रमों का समायोजन स्थापित हो।

(२) चुनाव : सम्मेलन के प्रतिनिधिगण इस सुझाव से भी सहमत थे कि चुनाव-आयोग को और शक्तिशाली बनाया जाय, ताकि वह चुनाव-सम्बन्धी देखरेख तथा नियंत्रण और अधिक कारगर ढंग से कर सके। देश में चुनाव सही और ठीक ढंग से हो सके, इसके लिए प्रतिनिधियों ने स्थायी रूप से प्रत्येक राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात स्वीकार की और यह सुझाव भी मान्य किया कि मुख्यचुनाव-आयुक्त तथा चुनाव-आयुक्त एक ऐसी स्वतंत्र संस्था की तरह कार्य करने के लिए मुक्त रहने चाहिए, जिनपर अधिकारियों का प्रभाव या दबाव काम न कर पाये।

(३) लोकतंत्र को जड़मूल से मजबूत बनाना : राष्ट्रीय सम्मेलन ने यह कबूल किया कि लोकतंत्र को जड़मूल (ग्रासरूट) से मजबूत बनाने और अनेक स्तरीय सरकार (मल्टीटायर) स्थापित करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस सुझाव को व्यावहारिक रूप देने के लिए सम्मेलन ने श्री एस० एम० जोशी के संयोजकत्व में एक उपसमिति नियुक्त की, जो लोकतंत्र को जड़मूल से विकसित करने की सभी रुकावटों को दूर करने के बारे में अपने सुझाव देगी।

(४) हिंसा और तनाव पर आयोग की नियुक्ति : हमारे देश में आये दिन उत्पात और हिंसा की विभिन्न घटनाएँ घटती रहती हैं। किन्तु हमारे देश में अभी कोई ऐसी संस्था या संगठन नहीं है, जो इन घटनाओं की जड़ में निहित मूल कारणों की खोजबीन करे। सम्मेलन ने इसी कमी की पूर्ति के लिए एक आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की है।

इस आयोग के कोई प्रशासकीय या न्यायिक अधिकार न होंगे। जिन परिस्थितियों के भीतर से हिंसात्मक अथवा तनावपूर्ण स्थिति का विस्फोट हो सकता है, उनके भीतरी कारणों का अध्ययन करना आयोग का मुख्य काम होगा।

(मूल अंग्रेजी)

www.vinoba.in

लोक-नेता का समादर : लोक-चेतना के द्वारा

"स्टालिनवाद के रक्त-प्रवाह में साम्यवाद डूब गया।" भारत के इतिहास की गौरवशाली गाथा सुनानेवाला छत्रपति शिवाजी का दुर्ग कुछ ही दूर की पहाड़ी पर अपनी भग्नावशेष विशालता लिये अडिग था, और उस अतीत के सान्निध्य में सातारा नगर के मध्य चौक में उपस्थित हजारों नर-नारियों को उद्‌बोधित करते हुए जे० पी० यह ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत कर रहे थे। महाराष्ट्र के इस तीन दिन के दौरे का यह आखिरी कार्यक्रम था। स्वराज्य-आन्दोलन के समय का जे० पी० का भूमिगत जीवन कुछ समय इस क्षेत्र की युवा चेतना को झकझोरने में भी बीता था। इसीलिए यहां के जन-हृदय में जे० पी० 'नेता' से अधिक 'हीरो' और शायद इसीलिए अधिक 'आत्मीय' हैं। यह हार्दिकता अभिव्यक्त होती थी, मुखर होती थी हर सभा के शुरू में, जब कि जे० पी० का स्वागत होता था, विभिन्न तबकों के प्रमुखों द्वारा पुष्पहार और थैली भेंट होती थी। इस अंतिम सभा का आखिरी पुष्पहार था—घुमंतू समाज की ओर से। जे० पी० कह रहे थे, "सत्य का सूरज उदित होगा, और असत्य का अंधकार अवश्य मिटेगा।" हिंसा की शक्ति बुनियादी तौर पर, और अपने मूल रूप में ही साम्राज्यवादी है। यह बात स्पष्ट होकर सामने आयी थी जब चीन ने तिब्बत स्वायत्तता को हड़प लिया और वहां अपनी साम्यवाद रूपी साम्राज्यवादी सत्ता लाद दी। भारत पर सीमा के सवाल को लेकर वह आक्रमण कर बैठा और हजारों वर्गमील भारत की भूमि पर आज भी कब्जा जमाये हुए है। ....यह बात दुनिया के सामने और स्पष्टतर हो गयी है, चेकोस्लोवाकिया के ऊपर की गयी सोवियत रूस की आक्रामक कार्रवाइयों से। क्या इसके बाद भी हम हिंसा की शक्ति का सहारा लेना चाहेंगे?...कुछ लोग हँसते हैं हृदय-परिवर्तन और विचार-परिवर्तन की बात पर। मैं पूछता हूँ कि फिर आप लोकतंत्र का नारा क्यों लगाते हो? लोकतंत्र की तो इमारत ही विचार-परिवर्तन और हृदय-परिवर्तन की नींव पर खड़ी है।..." फिर पाकिस्तान से लेकर भारत के निकटवर्ती लगभग सभी तानाशाही सत्तावाले देशों की दुर्दशा का विश्लेषण करते हुए वह यह बात खोलकर रख देते हैं कि इसके द्वारा समस्याएँ और उलझेंगी, समाधान नहीं मिलेगा, भले ही आज की परिस्थिति से ऊबे हुए हमारे मन को कुछ बाहरी परिवर्तनों से एक मिथ्या सांत्वना मिल जाय। और इस व्यापक संदर्भ में लोकतंत्र और समाजवाद की भव्य और ठोस इमारत खड़ी करने के लिए वे ग्रामदान की महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट करते हैं।

पिछले दिनों की अस्वस्थता के बाद की स्वाभाविक कमजोरी में कार्यक्रमों का बोझ जे० पी० पर अधिक न पड़े, इसके लिए योजना बनी थी सभाओं में दर्शन जे० पी० का और भाषण आचार्य राममूर्ति का। लेकिन यह योजना बहुत थोड़े अंशों में ही सफल हो पायी। सांगली, सातारा और कोल्हापुर के नागरिकों के अगाध स्नेह और श्रद्धाभाव ने जे० पी० को विवश कर दिया और वे हर सभा में बोले।

सर्व सेवा संघ की प्रबंध समिति की बैठक और उसमें जे० पी० की उपस्थिति का लाभ उठाकर महाराष्ट्र सर्वोदय मण्डल ने मार्गदर्शक का काम किया है। प्रायः हर प्रदेश की तरह ही महाराष्ट्र में भी सर्वोदय आन्दोलन अर्थाभाव का सामना कर रहा था। उन्होंने इससे उबरने का उपाय सोचा और सांगली के बुजुर्ग और सुप्रतिष्ठित कार्यकर्ता श्री शिखरेजी के सुझाव पर प्रबंध समिति की बैठक सांगली में आयोजित की गयी। तय हुआ कि पौने दो लाख की थैली जे० पी० को समर्पित की जाय। इसके लिए २८ फरवरी और १-२ मार्च को जे० पी० के कार्यक्रम आयोजित किये गये। महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष श्री ठाकुरदास बंग अपनी सहकर्मिणी श्रीमती सुमन बंग और मंत्री श्री वसंतराव वोम्बटकर के साथ क्षेत्र में आकर जुट गये। महाराष्ट्र ग्रामदान मण्डल के मंत्री श्री गोविन्दराव शिंदे, बुजुर्ग श्री शेंदुर्णीकरजी आदि सहित महाराष्ट्र सर्वोदय आन्दोलन में लगे कई कार्यकर्ता गाँवों-नगरों में फैल गये। प्रखण्डदान और थैलीदान-अभियान चलने लगा। हर जगह स्थानीय सत्कार-समितियाँ बनायी गयीं, जिनमें प्रायः राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं ने भाग लिया, जनसंघ और साम्यवादी दल के भी। अपनी ओर से सबने सम्मिलित अपील निकाली। सत्ता निरपेक्ष जे० पी० का व्यक्तित्व राजनीतिक दलों की सीमाओं से अलग सबके आदर का केन्द्र है, इसलिए न तो देनेवालों का कोई विरोध और न लेनेवालों में कोई हिचक।

छात्र-छात्राओं ने अपने जेब-खर्च के पैसे बचाकर दिये। मजदूरों, किसानों ने अपनी कमाई का एक अंश दिया। और इस प्रकार जे० पी० को सांगली में ६७ हजार, इचलकरंजी में १५ हजार, कोल्हापुर में ६८ हजार और सातारा में ११ हजार रुपयों की थैलियाँ भेंट की गयीं।

महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल के निर्णयानुसार प्राप्त रकम का एक-चौथाई भाग सर्व सेवा संघ को और चौथाई भाग महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल को दिया जायेगा। शेष भाग स्थानीय आन्दोलन के खर्च के लिए रहेगा। सांगली में दो प्रखण्डदान भी जे० पी० को समर्पित किये गये।

महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं में भरपूर उत्साह व्याप्त है। अगली योजना है कि इस क्षेत्र के अनुकूल जिलों में पहले अभियान चलाया जाय, और महाराष्ट्र के ग्रामदान आन्दोलन को जिलादान की मंजिल तक पहुँचाया जाय। उनके उत्साह और क्षेत्र की अनुकूलता को देखकर अब कोई शंका नहीं कि महाराष्ट्र में ग्रामस्वराज का आन्दोलन जिलादान की सीढ़ियाँ पार करता हुआ प्रदेशदान की मंजिल पर जल्द पहुँचेगा।

—रामचन्द्र राही

www.vinoba.in

विनोबाजी भागलपुर जिले में

१२ फरवरी को मुंगेर जिलादान समर्पित हुआ। उसके बाद वहाँ से गोगरी, कन्हैयाचक होते हुए सुलतानगंज (भागलपुर जिले में) पहुँचे। स्वागत के लिए गंगा के उस पार नाव लेकर भागलपुर जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री सियाराम सिंहजी, बिहार खादी-ग्रामोद्योग संघ के प्रतिनिधि श्री कामेश्वर बाबू तथा अन्य प्रमुख कार्यकर्ता पहुँचे थे। गंगा पार करते ही सुलतानगंज की जनता, प्रमुख नागरिक और भागलपुर जिला ग्रामदान-प्राप्ति समिति के अध्यक्ष श्री जागेश्वर मंडल, डा० रामजीत सिंह आदि सज्जनों ने जिला-प्रवेश के साथ पुष्पहार और सूत्रहार से स्वागत किया। उस रोज का पड़ाव सुलतानगंज खादी भंडार में रखा। दूसरे दिन सुबह नगर के प्रमुख नागरिक, सरकारी अधिकारी बाबा से मिलने आये।

बाबा ने बताया कि "चुनाव को लेकर पक्ष गाँवों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चुनाव खेला जाय, लड़ा नहीं जाय। आपस में ईर्ष्या न हो, जनता की शक्ति खड़ी हो, वही जनतंत्र होगा।" ३ सज्जनों ने ११३ रु० ग्रामदान-कोष में समर्पित किये।

दोपहर को तेजनारायण बनैली कालेज में सवातीन बजे पहुँचे। कालेज के प्राचार्य डा० सुदर्शनजी ने बाबा का स्वागत किया। हजारों विद्यार्थी, शिक्षक और नागरिक बाबा के दर्शन और प्रवचन के लिए अनुशासित ढंग से बैठे थे। वह दृश्य बड़ा ही भव्य था। वहाँ गांधी-शताब्दि की ओर से छात्रों को गांधीजी की आत्मकथा बाबा के आशीर्वाद के साथ वितरित की गयी और नाथनगर का प्रखण्डदान समर्पित हुआ।

अबतक भागलपुर जिले में कुल चार प्रखण्डदान प्राप्त हुए थे। यह पाँचवाँ प्रखण्ड-दान था। बाबा ने कहा कि जिलादान के काम में बहुत विलम्ब हो गया है। अब १५ दिन में इस काम को पूरा कर देना चाहिए। शिक्षकों और विद्यार्थियों को आचार्यकुल की आवश्यकता और महत्ता विस्तार से समझायी।

अंत में भागलपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने बाबा का आभार माना और खेद प्रकट किया कि गत एक साल में आचार्यकुल के बारे में हम अधिक नहीं कर सके हैं। अब सक्रिय होंगे।

१६ ता० को सुबह जिलाभर के खादी-कार्यकर्ता बाबा से मिले। जिलादान के संयोजन में अपनी व्यावहारिक दिक्कतों के बावजूद अपनी सक्रिय शक्ति लगाने का तय किया। बाबा ने बताया कि "खादी के पुराने दिन लद गये। आगे खादी इस प्रकार नहीं पनप सकती। उसके लिए गाँव-गाँव में ग्रामदान और ग्राम-संकल्प करके गाँव की सामूहिक शक्ति और भावना जगायेंगे तभी खादी-विचार बढ़ेगा।"

दोपहर को सदर अनुमण्डल के शिक्षकों, सरकारी सेवकों और पंचायत के मुखियों की बैठक सघन अनुमण्डल के बचे हुए प्रखण्डों में ग्रामदान-प्राप्ति के लिए हुई। बाबा ने बताया, "लोक-शिक्षण और विचार-प्राप्ति के लिए शिक्षक इस काम में लगेंगे तो सारे बिहार का काम पंद्रह दिन में पूरा हो जायेगा। बिहार में पौने दो लाख शिक्षक हैं और सत्तर हजार गाँव हैं। प्रति गाँव में ढाई शिक्षक पड़ते हैं और वे सारे गाँवों में फैले हुए हैं। वे विचार ठीक समझ सकते हैं। इससे गाँव-गाँव में ग्रामदान और ग्रामस्वराज्य की स्थापना तो होगी ही, परन्तु उससे शिक्षकों की शक्ति भी बनेगी। आचार्यकुल की स्थापना इसी दृष्टि से जगह-जगह की जा रही है। सरकारी अधिकारी और सेवकों का तो कर्तव्य है कि वे जनशक्ति खड़ी करने और गाँव-गाँव में 'ला एण्ड आर्डर' बनाये रखने के लिए ग्रामदान का विचार लोगों को समझाय। सारण और चंपारण के सरकारी सेवकों ने संयोजित ढंग से काम किया। वैसा भागलपुर में भी क्यों न हो? पंचायत-वालों को तो बिहार राज्य पंचायत परिषद का सर्वसम्मत आदेश ही है कि वे गाँव-गाँव में ग्रामदान करके पंचायतों की पूर्णता प्राप्त करें।

तारीख २० को सुबह भागलपुर के कुछ आचार्यों और प्राचार्यों की बैठक बाबा के पास हुई। निर्णय लिया कि आचार्यकुल के संगठन और प्रचार के लिए प्राचार्य जानकी-प्रसाद सिंह और प्रो० नित्यानन्द मिश्र के संयोजकत्व में एक समिति जिले के सम्बन्धित कालेजों से संपर्क करें और उनकी एक वृहत् बैठक बुलायें, जिसमें संगठन के लिए लगनेवाले खर्च का आवश्यक संयोजन शीघ्र किया जाय। २० तारीख की दोपहर को बाबा यहाँ से रवाना होकर बाँका पहुँचे। बाँका प्रखण्ड के प्रभारी श्री जमना बाबू ने २३० रु० की थैली भेंट की और नागरिकों की ओर से बाबा का स्वागत किया।

२१ फरवरी को सुबह बाँका अनुमण्डल के प्रधान शिक्षण इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स, सरकारी अधिकारी और पंचायतों के प्रमुख और प्रतिनिधि एकत्रित हुए और अनुमण्डल के १० प्रखण्डों में एकसाथ ग्रामदान-प्राप्ति का अभियान शुरू करने के लिए प्रखण्ड-प्रखण्ड की समितियाँ गठित की गयीं। प्रखण्ड स्तरीय सभाओं की तारीखें तय हुईं। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि "इस आरोहण का आधार आध्यात्मिक है। २० लाख एकड़ का भूदान मिला। १३ लाख एकड़ बेंटा और करीब ६० हजार ग्रामदान प्राप्त हुए। इतने बड़े पैमाने पर दान और त्याग का यह कार्यक्रम दिखाता है कि लोगों में कितनी श्रद्धा और भक्ति है। हमें इसी भक्ति और प्रेम को बढ़ावा देना है और परमेश्वर का काम मानकर करना है।" दोपहर को बाँका प्रखण्ड के शिक्षक, सेवक और पंचायत के लोगों की बैठक हुई। उसमें प्रखण्ड की हर पंचायत की ग्रामदान-टोली बनी और विनोबा के बालमित्र श्री द्वारकानाथ लेले द्वारा पंचायत टोली-नायक को ग्रामदान समर्पण-पत्र वितरित किये गये, जिससे कि वे निश्चित अवधि तक प्रखंडदान पूरा करके समर्पित कर सकें। करीब १० भूमि-मालिकों, पंचायत के मुखियों ने ग्रामदान पर हस्ताक्षर कर अपने फार्म बाबा को समर्पित किये।

बाबा ने कहा, "आपने जिस काम का शुभारम्भ किया, उसके लिए मेरा धन्यवाद

है। प्रखण्डदान और जिलादान-प्राप्ति तो आप करेंगे, इसमें मुझे शक नहीं है। परन्तु उसके बाद की कसौटी क्या होगी? कुछ लोग समझते होंगे उत्पादन बढ़ाना होगा। भारत जैसे भूखे और गरीब देश को वह तो बढ़ाना ही होगा। परन्तु मेरी आध्यात्मिक कसौटी होगी और वह यह कि दान, प्रेम और त्याग की भावना उत्तरोत्तर बढ़ती रहनी चाहिए। समाज में जीवन संयमी हो। गाँव के झगड़ों का समाधान गाँव में ही हो जाता है। उसके लिए अदालत और पुलिस की जरूरत न पड़े। गाँव में तरह-तरह के व्यसन हैं। उन व्यसनों से मुक्त हों और जैसा तुलसीदासजी ने कहा है: 'गाँव-गाँव अस होई अनंदा।' और उसमें 'वैर न करै कोउ संग कोई, राम परताप विसमता खोई,' ऐसा समाज बने।

२२ तारीख को बाँका से रवाना होकर अमरपुर पहुँचे। वहाँ सैकड़ों शिक्षक, सरकारी सेवक और नागरिक बाबा के दर्शन और स्वागत के लिए जुटे थे। एक पंचायत-दान और १०९१ रुपये की थैली बाबा को समर्पित की गयी। बाबा ने पूछा कि किन-किन लोगों ने दान दिया है। बहुत थोड़े लोगों के हाथ खड़े हुए, इसलिए और लोगों का विनोद करते हुए कहा कि बाकी लोग मुफ्त में ही बाबा का भाषण सुनने आये हैं। यह दान का आन्दोलन है, इसमें सबको दान देना चाहिए। आगे बढ़कर अमवा (शाहकुण्ड) प्रखण्ड में रुके। वहाँ उन्हें शाहकुण्ड प्रखण्डदान समर्पित हुआ। इससे भागलपुर का छठा प्रखण्डदान पूरा हुआ। इसमें १० पंचायतें हैं, जो सारी-की-सारी ग्रामदान में आयी हैं। १०३ गाँवों में से ९९ गाँव ग्रामदान में शरीक हुए हैं और जनसंख्या में ९,६८८ परिवारों में से ७,८६१ परिवार शामिल हुए हैं और जमीन का रकबा ६५ प्रतिशत शामिल हुआ है। यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने माँग की कि बाबा एक महीना भागलपुर को दें, तबतक हम पूरा जिलादान प्राप्त करके बाबा को समर्पित कर देंगे। अतः बाबा ने १६ मार्च तक भागलपुर में ठहरना स्वीकार किया। —कृष्णराज मेहता

•

देवनागरी लिपि में प्रान्तीय भाषा सीखिए

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने समस्त हिन्दी-अहिन्दी भाषा-भाषी भाई-बहनों एवं विद्यार्थियों के लिए प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययनार्थ तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड, गुजराती, मराठी, असमिया, मणिपुरी, बंगला, उडिया, पंजाबी, काश्मीरी, तथा सिन्धी भाषाओं की परीक्षाएँ वर्ष में दो बार, फरवरी तथा सितम्बर में लेने की व्यवस्था की है। ये परीक्षाएँ देवनागरी लिपि में ली जाती हैं।

समिति ने उपरोक्त भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें भी तैयार कर ली हैं। ये देवनागरी लिपि में हैं। इनमें शब्दार्थ के अलावा प्रादेशिक भाषाओं की स्वरलिपि तथा व्यवहारोपयोगी छोटे-छोटे वाक्य आवश्यक सूचनाओं के साथ दिये गये हैं।

प्रान्तीय भाषाओं को सीखने की महत्ता किसीसे छिपी नहीं है। पूज्य विनोबाजी ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है—"जैसे इन्द्रधनुष में भिन्न-भिन्न रंग होते हैं, वैसे ही हिन्दुस्तान में भी भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं। भारत के लोगों को दो-तीन भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए, उससे खूब ज्ञान मिलेगा, बुद्धि व्यापक होगी और एक-दूसरे की भाषा सीखने से प्रेम-भाव बढ़ेगा।" अतः आप इन परीक्षाओं में अवश्य सम्मिलित हों। इन परीक्षाओं के प्रचार से हममें राष्ट्रीय एकात्मता की भावना का विकास होगा।

दक्षिण-पूर्व एशिया की सन्देश-यात्रा

दक्षिण-पूर्व एशिया के सात पड़ोसी देशों में गांधीजी का सन्देश लेकर गयी सात निष्ठावान और अनुभवी कार्यकर्ताओं की टोली, अब भारत लौट आयी है। तीन महीनों के इस दौरे में टोली के सदस्यों ने साहित्य-प्रदर्शनी और विचार-गोष्ठियों के जरिये गांधीजी के सन्देश की किरणें बाँटी। अब वे लौटकर आये हैं तो उनकी झोलियाँ सद्-भावना और भाईचारे के अकूत धन से भरी हुई हैं। यह धन उनका अपना भी है और पूरे देश का भी। और वे भारत को एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी का निर्वाह करके लौटे हैं। दो-ढाई हजार साल पहले गौतम बुद्ध के सन्देश ने भारत का दक्षिण-पूर्व एशिया के इन देशों से जोड़ा था। भाईचारे के उन गहरे सांस्कृतिक सम्बन्धों की परम्परा को इस टोली ने पुनर्जीवित किया है। गांधीजी के सन्देश ने एक बार फिर भारत को अपने पड़ोसियों से जोड़ दिया है। यह सम्बन्ध भूगोल और इतिहास के सदियों पुराने सम्बन्धों से अधिक दृढ़ और सच्चा है, क्योंकि यह सत्य का, अहिंसा का और मानवता का सम्बन्ध है, क्योंकि यह गांधी का सम्बन्ध है, जो देश-काल की सीमाओं से परे है।

यह गांधी-शताब्दी वर्ष है और इसमें सारा संसार गांधीजी को समझने का प्रयास कर रहा है। लगभग सभी देश अपने-अपने ढंग से गांधी-शताब्दी मना रहे हैं। चूँकि गांधीजी सारे संसार के थे, और हैं, इसलिए संसार उन्हें कृतज्ञता से याद कर रहा है। फिर भी भारत पर गांधीजी का ऋण सबसे ज्यादा है और इसीलिए हमारी जिम्मेदारियाँ भी अधिक हैं। इन जिम्मेदारियों को विनम्रता से निभाने की भावना ने ही गांधी-स्मारक निधि को प्रेरित किया कि वह दक्षिण-पूर्व एशिया के पड़ोसी देशों में गांधीजी का सन्देश पहुँचाने के प्रयत्न करे। सिंगापुर, मलयेशिया, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, वियतनाम फिलीपीन और इण्डोनेशिया में कार्यकर्ताओं की टोली इसीलिए भेजी गयी। यह दौरा वैसे हुआ तो गांधी स्मारक निधि के तत्वावधान में पर भारत सरकार और देश की अन्य सार्वजनिक संस्थाओं ने भी इसमें कोई कम सहयोग नहीं दिया।•

साहित्य-बिक्री

(इन्दौर सर्वोदय-साहित्य भण्डार)

इन्दौर सर्वोदय-साहित्य भंडार तथा रेलवे-स्टाल से मई '६८ से जनवरी '६९ तक कुल ८६,५४२.७० रुपये का साहित्य बिका, जिसमें सर्वोदय-साहित्य भंडार से ७९,५८१.६७ रुपये का तथा रेलवे स्टाल से २,६८५.३४ रुपये का। इस प्रकार सन् १९६१ से १९६९ की जनवरी तक कुल ४,६२,१४९.०३ रुपये का साहित्य बिका है।

www.vinoba.in

"भूदान-यज्ञ" : नाम-चर्चा

महोदय,

आपके सम्मानित साप्ताहिक के १३ जनवरी और १७ फरवरी '६९ के अंकों में "भूदान-यज्ञ" के नाम-परिवर्तन के सम्बन्ध में कई पत्र छपे हैं। इन पत्रों में सुझाया गया है कि "भूदान-यज्ञ" साप्ताहिक का नाम बदलकर "ग्रामदान महायज्ञ" कर दिया जाय।

भूदान का लक्ष्य पूरा हुआ और उसका विकसित स्वरूप ग्रामदान आन्दोलन दूसरा चरण है। ग्रामदान भी प्रखण्डदान, जिलादान और प्रदेशदान तक बढ़ता हुआ "भारतदान" को अपना लक्ष्य मान चुका है। तो कौन गारण्टी दे सकता है कि ये पत्र-लेखक थोड़े ही दिन बाद फिर इस समाचार-पत्र का नाम बदलने की पेशकश नहीं करेंगे ?

सन् १९३७ से लेकर जून १९५५ तक "सर्वोदय" नाम की मासिक पत्रिका छपती थी। सन् १९४२ से १९४८ तक आजादी के आन्दोलन में सभी लोगों के सक्रिय हो जाने से केवल गांधीजी का "हरिजन सेवक" ही सबका प्रतिनिधित्व करता था। विनोबाजी और दादा धर्माधिकारी के कुशल संपादन में "सर्वोदय" ने इस आन्दोलन का सही चित्र देशवासियों के सामने रखा है। स्थगित होने के समय इसकी पंजीकृत संख्या एन० १६१ थी। वह संख्या अपनी थी, पत्रिका अपनी थी, और सारी व्यवस्था अपनी थी। केवल आन्दोलन की त्वरा से प्रकाशन स्थगित किया गया था। क्या यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात नहीं होगी कि "सर्वोदय" अपनी नयी सजधज एवं नये उत्साह के साथ हमारे सामने फिर आये ?

हमारा, आपका, सबका यह अनुभव है कि हम चाहे खादीवाले हों, भूदान अथवा ग्रामदान का काम कर रहे हों, किन्तु समाज में, सामान्य ही नहीं, पढ़े-लिखे लोगों के बीच भी हम सब "सर्वोदयवाले" ही माने और जाने जाते हैं।

हमें चाहिए कि हम अपने ही मासिक पत्र "सर्वोदय" को जो कि स्थगित किया गया था पुनः साप्ताहिक के रूप में "भूदान-यज्ञ" का नाम बदलकर चालू करें।

राजघाट, वाराणसी —कपिल अवस्थी

२५-२-'६९

हिंसात्मक खूनी क्रान्ति एवं गांधीजी

गांधीजी ने कहा था :

"आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है पूंजी और श्रम के बीच के शाश्वत संघर्ष का अन्त करना। इसका मतलब जहाँ एक ओर यह है कि जिन थोड़े-से अमीरों के हाथ में राष्ट्र की सम्पदा का कहीं बड़ा अंश केन्द्रीभूत है उनके उतने ऊँचे स्तर को घटाकर नीचे लाया जाय, वहाँ दूसरी ओर यह है कि अध-भूखे और नंगे रहनेवाले करोड़ों का स्तर ऊँचा किया जाय। अमीरों और करोड़ों भूखे लोगों के बीच की यह चौड़ी खाइँ जब तक कायम रखी जाती है तब तक तो इसमें कोई सन्देह ही नहीं कि अहिंसात्मक पद्धतिवाला शासन कायम हो ही नहीं सकता। स्वतंत्र भारत में, जहाँ कि गरीबों के हाथ में उतनी ही शक्ति होगी जितनी कि देश के बड़े-बड़े अमीरों के हाथ में, वैसी विषमता तो एक दिन के लिए भी कायम नहीं रह सकती, जैसी कि नयी दिल्ली के महलों, और यहीं नजदीक की उन सड़ी-गली झोंपड़ियों के बीच पायी जाती है, जिनमें मजदूर-वर्ग के गरीब लोग रहते हैं। हिंसात्मक और खूनी क्रान्ति एक दिन होकर ही रहेगी, अगर अमीर लोग अपनी सम्पत्ति और शक्ति का स्वेच्छापूर्वक ही त्याग नहीं करते और सबकी भलाई के लिए उसमें हिस्सा नहीं बँटाते।"

देश में दंगे-फसाद और खून-खराबी का वातावरण बढ़ता जा रहा है। इसमें आर्थिक, सामाजिक विषमता भी बड़ा कारण है। गांधीजी की उक्त वाणी और चेतावनी आज अधिक ध्यान देने को बाध्य करती है। क्या देश के लोग, विशेषतः अमीर, समय के संकेत को पहचानेंगे ?

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी-जन्म-शताब्दी समिति), डुंकलिया भवन, कुन्दीगरों का भैरू, जयपुर-३ राजस्थान द्वारा प्रसारित।

मध्यप्रदेश में ग्रामदान, प्रखण्डदान, जिलादान

(२२ फरवरी १९६९ तक)

जिला	ग्रामदान	प्रखण्डदान
इंदौर	२२७	—
प० निमाड	१,४८१	१२
धार	८५	१
रतलाम	६९	—
मन्दसौर	५१	—
झाबुआ	१७	—
देवास	४	—
उज्जैन	—	—
भिण्ड	१०४	—
मुरैना	२०६	—
गुना	८	—
दतिया	२	—
शिवपुरी	—	—
ग्वालियर	—	—
बैतूल	७१	—
होशंगाबाद	७	—
सिहोर	—	—
रायसेन	—	—
राजगढ़	—	—
विदिशा	—	—
शाजापुर	—	—
टीकमगढ़	७७०	६
शहडोल	२४०	१
सीधी	२९	—
छतरपुर	२६	—
रीवा	२३	—
सतना	१८	—
पन्ना	५	—
जबलपुर	२२५	—
सागर	३४	—
सिवनी	११५	१
मण्डला	३५	—
नरसिंहपुर	३४	—
बालाघाट	२०	—
छिन्दवाडा	७	—
दमोह	३	—
सरगुजा	९४८	४
रायगढ़	८	—
बिलासपुर	८	—
रायपुर	५५	—
दुर्ग	२०	—
बस्तर	१०९	—
कुल :	५,०७७	२५

दो जिलादान : टीकमगढ़ और प०निमाड ।

—नरेन्द्र दुबे
मंत्री, मध्यप्रदेश सर्वोदय मंडल

उत्तर प्रदेश की चिट्ठी

फरवरी में भारतवर्ष के जिन प्रदेशों में मध्यावधि चुनाव होनेवाले थे, उनमें से एक प्रदेश उत्तर प्रदेश भी था। ५ फरवरी से ९ फरवरी तक चुनाव की ही चर्चा और चहल-पहल प्रमुख थी। इन दिनों प्रदेश में ग्रामदान-अभियान लगभग स्थगित-सा करके "मतदाता-शिक्षण" का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं ने उठाया। कई जिलों में इसका व्यापक असर हुआ। अब १५ फरवरी से पुनः अभियानों की शृंखला प्रारम्भ हुई है। आजमगढ़ के बिलरियागंज और महराजगंज में, मथुरा की मांट और राया विकास क्षेत्रों तहसील में, आगरा के टुण्डला व एत्मादपुर, सहारनपुर के नकुड़ व सरसाध, गाजीपुर के देवकली, जौनपुर के डोभी, केराकत, गोरखपुर के देलघाट, और फैजाबाद के बीकापुर विकास-क्षेत्रों में ग्रामदान-अभियान शुरू हुए।

मिरजापुर से समाचार मिला है कि लालगंज क्षेत्र में गांधी-स्मारक निधि के कार्यकर्ताओं की चार टोलियों ने सर्वोदय-पक्ष में ६० ग्रामदान प्राप्त किये हैं। १२ फरवरी को लहंगपुर में सामूहिक प्रार्थना व सूतांजलि-समर्पण के कार्यक्रमों में स्थानीय जनता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बाबा चेतनदास ने गांधीजी को इस शताब्दी का महान क्रान्तिकारी बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू उपरौध महाविद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की एक सभा हुई, जिसमें छात्रों ने निबन्ध-कविताओं के माध्यम से गांधीजी की याद की।

फैजाबाद के बीकापुर एवं गोरखपुर के बेलघाट ब्लाकों में ग्रामदान-अभियान शिविर हुए, जिनमें श्री कामतानाथ गुप्त (अवकाश-प्राप्त जज) एवं श्री कपिल भाई ने मार्गदर्शन किया।

गत फरवरी में मथुरा में १३७, वाराणसी में ८८ और मिरजापुर में ३३ नये ग्रामदान प्राप्त हुए। इस प्रकार सारे प्रदेश में फरवरी '६९ के अंत तक १३,५४६ ग्रामदान और ७९ प्रखण्डदान हुए।

सहारनपुर से प्राप्त सूचनानुसार जिले का चौथा ग्रामदान-अभियान २४–२–६९ की प्रभात बेला में सरसावा व नकुड प्रखण्ड में ३३ टोलियों के साथ प्रारम्भ हुआ। एक सप्ताह के सफल प्रयास के बाद नकुड़ प्रखण्ड के १०३ गाँवों में से ६८ गाँवों तथा सरसाव प्रखण्ड के १३३ गाँवों में से ४१ गाँवों के लोगों ने ग्रामदान ग्रामस्वराज्य के महत्व को समझकर हस्ताक्षर किये। इस प्रकार उक्त दोनों प्रखण्डों में कुल मिलाकर २३६ गाँवों में से १०९ ग्रामदान में घोषित हुए। गत अभियान तक इस जिले में ३८७ गाँव ग्रामदान में घोषित हुए और १०९ गाँव इस अभियान के, मिलाकर अब कुल ४९६ गाँव ग्रामदान में आ गये। इस जिले का अगला अभियान अप्रैल के तीसरे सप्ताह में नानौता प्रखण्ड में चलेगा। इन अभियानों की सफलता का सारा श्रेय क्षेत्र की जनता व मुख्य अधिकारियों का है, जिनका सहयोग बराबर मिलता रहता है।

मथुरा जनपद की मांट तहसील के राया और मांट विकास-खण्डों में १५ फरवरी से २२ फरवरी '६९ तक ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य का अभियान श्री गांधी आश्रम मथुरा द्वारा चलाया गया। प्रारम्भ में दो दिन का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चला, जिसका उद्घाटन प्रदेशीय गांधी-शताब्दी समिति के उपाध्यक्ष

www.vinoba.in

माननीय श्री पं० विचित्र नारायण शर्मा ने किया। शिविर में खादी एवं रचनात्मक कार्यकर्ताओं के अलावा, राज्य खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जिला परिषद् के शिक्षक, राष्ट्रीय इण्टर कालेज राया के शिक्षक एवं २० विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। क्षेत्र के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी शिविर में सम्मिलित होकर ग्रामदान ग्रामस्वराज्य-विचार का शिक्षण प्राप्त किया।

१७ से २१ फरवरी तक ७२ कार्यकर्ताओं की ३५ टोलियाँ, जिसमें जिला परिषद् के २० अध्यापक भी शामिल थे, राया और माँट विकास-खण्ड के कुल छोटे-बड़े ३३९ ग्रामों में से २१९ ग्रामों में पदयात्रा करके ग्रामस्वराज्य का सन्देश लोगों को सुनाया। फलस्वरूप १३२ ग्रामों के लोगों ने ग्रामदान घोषणा-पत्र पर अपनी सहमति दी और ग्रामदान-विचार को स्वीकार किया।

२२ फरवरी '६९ को समापन-समारोह राष्ट्रीय इंटर कालेज राया के प्रांगण में मनाया गया। समापन-समारोह की अध्यक्षता श्री अक्षय कुमार करण ने की।•

शाहपुरा तथा बैराठ प्रखण्डों में ८६ गाँव ग्रामदान

जयपुर, २२ फरवरी। प्रमुख सर्वोदय-नेता डा० दयानिधि पटनायक के संचालन में आयोजित पाँच दिन के ग्रामदान-अभियान में जयपुर जिले के शाहपुरा तथा बैराठ प्रखण्डों में ८६ गाँव ग्रामदान में प्राप्त हुए हैं। दोनों प्रखण्डों के १५० गाँवों में से ११७ गाँवों में कार्यकर्ता-टोलियाँ १८ से २२ फरवरी तक ग्रामजनों से ग्रामदान के लिए यह सहमति प्राप्त करने हेतु की गयी थीं। जयपुर जिला सर्वोदय मंडल तथा क्षेत्रीय खादी-ग्रामोद्योग समिति ने इस अभियान का आयोजन किया था।

जयपुर जिले में प्रथम बार आयोजित इन अभियानों में प्रदेश के १२५ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सर्वश्री सिद्धराज ढड्ढा, पूर्णचन्द्र जैन, जवाहिरलाल जैन, यज्ञदत्त उपाध्याय, मां० आदित्येन्द्र, बद्रीप्रसाद स्वामी, रामेश्वर अग्रवाल आदि प्रमुख कार्यकर्ताओं का भी अभियान में सहयोग रहा। राज्य के विद्युत्-मंत्री श्री शिवचरण माथुर ने भी गाँवों में जाकर कार्यकर्ता टोलियों से सम्पर्क किया।

सिरोही जिले में ग्रामदान-अभियान

जयपुर, ४ मार्च। राजस्थान ग्रामदान-अभियान समिति द्वारा कार्यकर्ता-प्राप्ति व प्रशिक्षण के लिए आयोजित शिविरों के क्रम में अब तीसरा और अंतिम शिविर सिरोही जिले के स्वरूपगंज में दिनांक १५ से १९ मार्च तक आयोजित किया गया है। प्रथम दो दिन शिविर रहेगा और अगले तीन दिन तक कार्यकर्ता-टोलियाँ गाँवों में ग्रामदान के लिए सहमति प्राप्त करने जायेंगी। प्रमुख सर्वोदय-नेता डा० दयानिधि पटनायक अभियान का संचालन करेंगे। प्रदेश के रचनात्मक कार्यकर्ताओं के अलावा सिरोही जिले के पंच-सरपंच तथा शिक्षक भी इस अभियान में भाग लेंगे। प्रदेशदान के संदर्भ में अब प्रादेशिक स्तर से क्षेत्रीय स्तर पर अभियान चलाये जाने का क्रम रहेगा। इस दृष्टि से भी सिरोही-अभियान महत्त्वपूर्ण रहेगा।

राजस्थान ग्रामदान-अभियान समिति के संचालक श्री गोकुल भाई, महाराव अभयसिंह, सिरोही महाराज, रामसिंह—जिला-प्रमुख तथा देवीचन्द सागरमल, मंत्री सिरोही जिला सर्वोदय मंडल ने एक संयुक्त अपील में सिरोही जिले के नागरिकों से ग्रामदान अभियान को सफल बनाने का आवाहन किया है।

आगामी सर्वोदय-सम्मेलन

सर्वोदय समाज का आगामी सम्मेलन बिहार के राजगीर नामक स्थान पर २५-२६-२७ अक्तूबर '६९ को होगा। २१ अक्तूबर को प्रबन्ध समिति की बैठक और उसके बाद २२, २३, २४ को संघ-अधिवेशन होगा। इसी अवसर पर २५ अक्तूबर को राजगीर में जापान बौद्ध संघ की ओर से बौद्ध-स्तूप का उद्घाटन भी होगा। २५ को दोपहर के बाद सम्मेलन शुरू होगा। बिहारदान की घोषणा के सन्दर्भ में उक्त सर्वोदय-सम्मेलन में आन्दोलन का नया क्षितिज स्पष्ट होगा, और एक नये ऐतिहासिक अध्याय का सूत्रपात होगा, ऐसी आशा की जा रही है।

सोमनाथ में आन्तर भारती श्रम-संस्कार छावनी

महाराष्ट्र के चांदा जिला स्थित सोमनाथ में दूसरी आन्तर भारती श्रम-संस्कार छावनी का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन २१ से ३१ मई '६९ तक होगा। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि देश के सभी प्रान्तों से कम-से-कम पचास शिविरार्थी इस छावनी में अवश्य उपस्थित रहें। शिविरार्थियों का चुनाव उनके द्वारा आवेदन-पत्रों में दी गयी जानकारी के आधार पर किया जायगा।

छावनी के संयोजन में व्यवस्था की दृष्टि से दैनंदिन कार्यक्रमों को चार विभागों में बाँटा गया है। प्रथम, चार घण्टे शारीरिक श्रम; दूसरे, तकनीकी प्रशिक्षण; तीसरे, बौद्धिक कार्यक्रम और चौथे, कला-मनोरंजन।

छावनी से पहले एक सप्ताह के लिए ५० से १०० चुनिंदा युवक-युवतियों का एक अग्रगामी (पायोनियर्स) कैम्प होगा। यह अग्रगामी शिविर १४ मई से २० मई तक चलेगा।

छावनी में श्रमकार्य दो प्रकार के होंगे—सामान्य और सपारिश्रमिक। छावनी में शिक्षक युवक-युवतियों के साथ खेतिहर और कारखाने के मजदूर भी भाग ले सकते हैं। आवेदन-पत्र और विशेष जानकारी हेतु आनन्दवन, वरोरा, जिला चांदा (महाराष्ट्र) से सम्पर्क करें।

वार्षिक शुल्क : १० रु०; विदेश में २० रु०; या २५ शिलिंग या ३ डालर। एक प्रति : २० पैसे।
श्रीकृष्णदत्त भट्ट द्वारा सर्व सेवा संघ के लिए प्रकाशित एवं इण्डियन प्रेस (प्रा०) लि० वाराणसी में मुद्रित।